यंग लीडर्स थिंक टैंक

भारतीय युवा एजेंडा

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
India Office

भारतीय युवा एजेंडा

एक अध्ययन

यंग लीडर्स थिंक टैंक
फ्रेडरिक-एबर्ट-स्टिफटंग (भारत कार्यालय)

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

YLTT
Young Leaders Think Tank

प्रकाशकः फ्रेडरिक–एबर्ट–स्टिफ़्टंग
भारत कार्यालय
K-70B, हौज खास एनक्लेव
नई दिल्ली 110016

कॉपीराइट : © Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013

ISBN : 81-7440-072-9

FES भारत कार्यालय info@fes-india.org

FES इस प्रकाशन में व्यक्त किए गए विचारों का अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
इस प्रकाशन का व्यावसायिक उपयोग बिना लिखित पूर्वानुमति के वर्जित है।

इस प्रकाशन के किसी भी भाग का अनुवाद या पुनर्मुद्रण निम्नलिखित उल्लेख के साथ किया जा सकता है।

Young Leaders Think Tank (2013). Bharatiya Yuva Agenda. New Delhi: Friedrich-Ebert-Stiftung India Office.
यंग लीडर्स थिंक टैंक (2013), भारतीय युवा एजेंडा, नई दिल्लीः फ्रेडरिक एबर्ट–स्टिफ़्टंग भारत कार्यालय।

दस्तावेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
सचिन कुमार samparksachin@gmail.com
संदीप कुमार sandeepkumar.jha@gmail.com
शैलेंद्र सिंह बिष्ट shailendrabisht@gmail.com

टंकण सहयोग
दीनदयाल शर्मा

विषय सूची

प्राक्कथन *v*
संक्षिप्त विवरण *vii*

1. पृष्ठभूमि – युवा एजेंडा की ओर **1**

2. उद्देश्य और विषय क्षेत्र **3**

3. कार्य पद्धति **5**
3.1 उपागम (Approach) 5
3.2 प्रक्रिया 6

4. चुनौतियां और बाधाएं **7**
4.1 एजेंडा निर्धारण 7
4.2 आंकड़ा एकत्रण 7
4.3 आंकड़ा विश्लेषण 8

5. परिणाम **9**
5.1 मुद्दे – प्राथमिकता प्रतिचित्रण (Priority Mapping) 9
5.2 परिदृश्य और संस्तुतियां (Recommendations) 10
5.2.1 शिक्षा संबंधी मुद्दे 10
5.2.2 आजीविका संबंधी मुद्दे 12
5.2.3 स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे 14
5.2.4 गृहस्थी संबंधी मुद्दे 16
5.2.5 नागरिकता संबंधी मुद्दे 18
5.2.6 प्रवास संबंधी मुद्दे 19
5.2.7 मूलभूत सुविधाओं संबंधी मुद्दे 20

6. निष्कर्ष **23**

संदर्भ सूची **25**

परिशिष्ट **27**
A: यंग लीडर्स थिंक टैंक (वाईएलटीटी) और युवा एजेंडाः शुरूआत 29
B: पहला चरणः मुद्दा अभिनिर्धारण 30
C: दूसरा चरणः मुद्दा सूचीकरण 31
D: तीसरा चरणः गहन विश्लेषण हेतु मुद्दा न्यूनीकरण 34
E: चौथा चरणः विस्तृत विश्लेषण 36
F: क्षेत्रीय आंकड़ा एकत्रण हेतु प्रस्तावित प्रश्नावली 39
G: वाईएलटीटी युवा एजेंडा सर्वेक्षण हेतु बुनियादी दिशा निर्देश 40
H: क्षेत्रस्तरीय विमर्श की एक झलक 41
I: चौथे चरण के मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण प्रारूप 42
J: चौथे चरण सर्वेक्षण परिणाम का नमूनाः स्कूल ड्रॉपआउट का उच्च दर 44
K: विशेषज्ञ सूची 46
L: वाईएलटीटी सदस्य सूची 48
M: विमर्श प्रक्रियाः कुछ चित्र 50

अध्ययन समूह
(वर्ण क्रम से)

अनु माहेश्वरी
अभिजीत विलासराव पाटिल
के. आनंद सूदन
गुरुराजा बुध्या
जगदंबा प्रसाद मैठानी
जितेंद्र नायक
मांडवी कुलश्रेष्ठ
डॉ. मौसमी भट्टाचार्य
डॉ. राजा मुजफ्फर भट्ट
राजीव रुस्तगी
रितिका राय
शैलेंद्र सिंह बिष्ट
सचिन कुमार
संदीप कुमार
संस्कृति सिन्हा

अध्ययन समूह निम्न सदस्यों के योगदान को भी सराहता है:
प्रणव शगोत्रा
स्टेला सुमिता पॉल
वर्तिका नंदा

प्राक्कथन

भारत की कुल आबादी में से दो–तिहाई आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग में यह जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) कई गुना बढ़ जाएगा। इस बढ़ती श्रम शक्ति के मद्देनज़र भारत आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रमुख संचालक के रूप में उभरने की क्षमता रखता है।

आज का युवा जिसे वैश्वीकरण का उत्साही उपभोक्ता कहा जा रहा है, राजनीतिक संवेदनहीनता का शिकार है। कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि भौतिकता से पूरी तरह प्रभावित देश के युवा को सही अर्थों में जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं माना जा सकता। अगर हम युवा भागीदारी के संबंध में देश के इतिहास पर नज़र डालें तो ये महसूस होता है कि ज़्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। कुछ क्षेत्रों में, जहां संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। हालांकि राजनीतिक दलों में प्रचलित भाई–भतीजावाद और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में देश में राजनीतिक नेतृत्व की दशा अच्छी नहीं है जिसके कारण युवा विमुख और मोहभंग की स्थिति में है।

शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में भी अवसरों और संसाधनों का अभाव है। ज़्यादातर युवाओं को कम तनख्वाह वाली नौकरी में गुज़ारा करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने हुनर को निखारने के लिए प्रशिक्षण और सलाह नहीं मिल पाती। बेहतर ज़िन्दगी और रोज़गार के अच्छे अवसरों की तलाश के चलते पलायन की स्थिति आती है। इन मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए वर्ष 2003 में युवाओं के साथ किसी प्रकार की कोई चर्चा किए बिना एक राष्ट्रीय युवा नीति विकसित की गई जिसे इसी वर्ष मूल्यांकन और संशोधन के लिए रखा गया है।

फ्रेडरिक–एबर्ट–स्टिफ्टंग (एफ़ईएस) राष्ट्र निर्माण में युवाओं के महत्व को समझता है। एफ़ईएस – भारत ने युवाओं की चिंताओं को समझते हुए उनके समाधान खोजने और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल करने के प्रयास किए हैं। हमने अपनी गतिविधियों में युवाओं के दृष्टिकोण को सम्मिलित करने और उन्हें भागीदार बनाने की प्रक्रिया को जारी रखा है। हमने अपने सहयोगी संगठनों से चुनिंदा अनुभवी युवाओं का एक नेटवर्क तैयार किया है जो यंग लीडर्स थिंक टैंक (वाईएलटीटी) कहलाता है।

वाईएलटीटी के सदस्य विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी क्षमतानुसार सामाजिक लोकतंत्र (Social Democracy) की विचारधारा के अनुसार काम कर रहे हैं।

जहां एक ओर आज के युवा के समक्ष कई चुनौतियां हैं वहीं युवाओं ने हर संभव तरीके से अपनी चिंताओं और सरोकारों को कई मंचों पर अभिव्यक्त किया है। वे विकास के लिए अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं। मीडिया इसमें एक महत्वपूर्ण साथी की भूमिका निभाता है। इसी प्रकार, सिनेमा भी जनहित के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली माध्यम है। सुनियोजित परिवर्तन लाने के लिए युवाओं को सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसी प्रकार के एक सक्रिय समूह, वाईएलटीटी ने भारतीय युवा एजेंडा विकसित करने का काम हाथ में लिया जो युवाओं के द्वारा और युवाओं के लिए है। इस क़वायद के ज़रिए वाईएलटीटी विभिन्न क्षेत्रों और परिस्थितियों में युवाओं संबंधित कुछ अतिमहत्वपूर्ण मुद्दों, उनके कारणों और उनके समाधान को पहचानने का प्रयास किया है। वाईएलटीटी युवा एजेंडा युवाओं से जुड़े विभिन्न विकास संबंधी पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

वाईएलटीटी द्वारा एक लंबी और सहभागी प्रक्रिया से गुज़रने के बाद भारतीय युवा एजेंडा दस्तावेज़ तैयार किया गया है। इन सदस्यों के साथ–साथ कई अन्य विशेषज्ञों ने भी अपना क़ीमती समय और अनुभव प्रदान किया है जिससे ये दस्तावेज़ तैयार करने में ख़ासी मदद मिली। वर्ष 2010 में एफ़ईएस के सेक्रेटरी–जनरल डॉ रोलैंड श्मिट् ने अपनी भारत यात्रा के दौरान युवा एजेंडा का विचार वाईएलटीटी सदस्यों के सामने रखा था। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान समस्याओं के समाधान ढूंढे जा सकते हैं। अपनी निजी व्यस्तताओं

के बावजूद वाईएलटीटी सदस्यों की वचनबद्धता उनकी परिवर्तन के प्रति कर्मठता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गहन और सहभागी प्रक्रिया के बाद विकसित ये दस्तावेज़ भविष्य में शोध और भारत में युवा नीति निर्माण के लिए निश्चित रूप से आधार तैयार करेगा। मुझे यक़ीन है कि पाठकगण इस दस्तावेज़ को प्रेरक पाएंगे।

नई दिल्ली
अक्तूबर, 2012

डॉ फ़ेलिक्स श्मिट्
रेज़ीडेंट रिप्रेज़ेन्टेटिव, एफईएस–भारत

संक्षिप्त विवरण

जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि देश के सामने खड़ी चुनौतियों को युवाओं के दृष्टिकोण से देखा और समझा जाए। ये महत्वपूर्ण है कि मुद्दों को उनकी गंभीरता, उनसे प्रभावित जनसंख्या और संभावित परिदृश्य के आधार पर प्राथमिकता दी जाए क्योंकि संसाधनों की सीमितता के कारण सभी समस्याओं को एक साथ नहीं सुलझाया जा सकता। साथ ही चूंकि कई मुद्दे अंतर्संबंधित हैं और समान कारणों से उपजते हैं, अतः उच्च, प्राथमिकता के एक मुद्दे के समाधान से उससे जुड़े कई अन्य वैसे मुद्दे भी, जो सतही तौर पर असंबद्ध लग सकते हैं, स्वतः ही हल हो जाएंगे। इसके साथ ही ये भी बेहद ज़रूरी है कि नीति निर्धारकों को इन मुद्दों के संभावित समाधान हेतु समुचित सुझाव और सिफ़ारिशें दी जाएं। इसीलिए वाईएलटीटी का विश्वास है कि युवा एजेंडा, मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर पहचानने, भविष्य में उनके संभावित परिदृश्य को सामने लाने और उनके समाधान के लिए संभावित समाधान ढूंढने में सफल होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, वाईएलटीटी ने भारत के लिए युवा एजेंडा तैयार करने का प्रयास किया है। देश की अंतर्निहित विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हमने अधिकतम संभावित स्रोतों से संकेन्द्रित और विकेन्द्रित (Top Down और Bottom up) तरीकों द्वारा सूचनाओं और विचारों को एकत्रित करते हुए मुद्दों के विश्लेषण का प्रयास किया है।

अलग–अलग जगहों पर मुख्य मुद्दों की पहचान करने और विभिन्न वर्गों से सूचना एकत्रित करने के लिए वाईएलटीटी सदस्यों ने कई प्रकार के तरीक़ों का इस्तेमाल किया जैसे सर्वेक्षण, प्रतिभागिता कार्यक्रम जैसे युवा सभाएं, गोष्ठियां, कार्यशालाएं, पेनल चर्चाएं, वीडियो और लघु फ़िल्में, निजी साक्षात्कार आदि। इन संवादों और अनुभवों पर आधारित मुद्दों में से 60 ऐसे विषय चुने गए जिनका पूरे देश में युवाओं से सबसे ज्यादा सरोकार है। इसके बाद मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धतियां अपनाकर इस सूची को 32 विषयों तक सीमित किया गया लेकिन यह ध्यान रखा गया कि ये सूची संक्षिप्त होने के साथ–साथ संबंधित विषयों का भी समावेश करती हो। प्रत्येक विषय का गहन मूल्यांकन करने और परिदृश्य विकसित करने हेतु संशोधित डेल्फ़ी पद्धति का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत चुनिंदा विशेषज्ञों के साथ संरचित संचार तकनीक (Structured Communication Technique) का इस्तेमाल किया जाता है।

इन सभी 32 विषयों पर देश के विभिन्न युवा मामलों के विशेषज्ञों की राय ली गई। कुछ विशेषज्ञों ने वाईएलटीटी द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली को भरा तो कुछ ने सिर्फ़ अपनी गुणात्मक राय ज़ाहिर की। वाईएलटीटी सदस्यों ने देशभर में अलग–अलग जगहों पर आयोजित युवा शिविरों में भी हिस्सा लिया और वहां मौजूद सामाजिक रूप से सक्रिय युवाओं के विचार जाने।

इस प्रकार से एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित आधारों पर किया गया:

1. विषय–विशेष से प्रभावित होने वाली आबादी,
2. प्रभाव की गहनता,
3. सभांवित परिदृश्य, और
4. विशेषज्ञों के अपनी राय के बारे में विश्वास का स्तर।

इस विश्लेषण का सार इस प्रकार है:

1. हालांकि कुछ मुद्दे राष्ट्रव्यापी हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं के लिए अलग–अलग मुद्दों को महत्वपूर्ण माना।

2. कुछ ख़ास लक्षित समूहों के लिए कुछ ख़ास मुद्दे सामने आए, जैसे उत्तरपूर्व, जम्मू और कश्मीर और आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं से जुड़े मुद्दे। वहीं कुछ राष्ट्रव्यापी मुद्दे ऐसे थे जो सभी वर्गों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की समस्याएं।

3. कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आए जो क्षेत्रीय समूहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में युवा और प्रवासी (Migrant) युवा।

4. युवा महिलाओं से जुड़े मुद्दे सभी स्तरों और वर्गों में समान रूप से उभर कर सामने आए जिन्हें युवाओं के दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है। वाईएलटीटी इस विचार को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि युवाओं के कल्याण के लिए किए गए प्रयास युवा महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए अपर्याप्त हैं और इस दिशा में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक ख़ास नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है।

5. विश्लेषण के दौरान एक ऐसा विशिष्ट वर्ग उभर कर सामने आया जिसके पास न सिर्फ़ अधिकारों की अनुपलब्धता है बल्कि उन्हें हासिल करने का कोई साधन भी नहीं है। ये ज़्यादातर या तो अत्यधिक ग़रीब पृष्ठभूमि से हैं या प्रवासी हैं या फिर अत्यंत ग़रीब प्रवासी हैं। जहां अन्य सभी वर्गों के युवाओं की कुछ स्पष्ट समस्याएं हैं जिन्हें बेहतर नियोजन और नीतिगत तरीक़ों से सुलझाया जा सकता है, वहीं प्रवासी, ग़रीब और वंचित युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें उनके अधिकार और अधिकार प्राप्ति के साधन मिलना अनिवार्य है।

संशोधित डेल्फ़ी पद्धति का अनुसरण करते हुए वाईएलटीटी ने इन प्रारंभिक परिणामों को विशेषज्ञों के एक और समूह के साथ साझा किया और उनकी रूचि के मुद्दे पर फिर उनकी राय ली। उनके विचारों की सहायता से मुद्दों की प्राथमिकता निर्धारित करने वाला त्रि–आयामी आलेख तैयार किया गया। ये तीन आयाम हैं– आबादी, प्रभाव और अनुमानों पर विशेषज्ञों की सहमति।

ये आलेख स्पष्टतः दर्शाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला या सबसे गंभीर मुद्दा स्वतः प्राथमिकता में सबसे ऊपर नहीं होता है।

विश्लेषण के माध्यम से सामने आए कुछ उच्च प्राथमिकता वाले मुद्दे थे – बेहतर आधारभूत ढांचे की आवश्यकता, रोज़गार के अवसर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, समुचित शिक्षा और निर्वाचित प्रतिनिधियों का गुणवत्ता। कुछ प्रचलित मुद्दे जो अमूमन ध्यान आकर्षित करते हैं जैसे, अल्पायु में विवाह, हुनर–आधारित प्रशिक्षण, खेलों को बढ़ावा आदि, इस आलेख में कम प्राथमिकता वाले स्तर पर थे। युवा एजेंडा के लिए वाईएलटीटी ने 32 में से 25 मुद्दों का चुनाव किया और विशेषज्ञों से प्राप्त सूचनाओं को प्रत्येक मुद्दे के लिए तीन प्रकार के परिदृश्य तैयार करने में इस्तेमाल किया:

1. मुद्दे के समाधान की दिशा में वास्तव में प्रयास किए जाएं – सकारात्मक परिदृश्य
2. मुद्दे के संदर्भ में प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे – यथास्थिति परिदृश्य, और
3. मुद्दे की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाए – नकारात्मक परिदृश्य।

इन परिदृश्यों की सहायता से समस्याओं को बढ़ने से रोकने और उनकी संभावित रोकथाम के उपायों की पहचान करने में मदद मिली।

यहां ये बताना ज़रूरी है कि ये एक सक्रिय और परिवर्तनशील दस्तावेज़ है। संभावित प्रामाणिक और ठोस अध्ययन के मद्देनज़र इस दस्तावेज़ को और विकसित किया जा सकता है। बड़े स्तर पर युवा मामलों पर काम करने वाले नीति–निर्धारकों, शिक्षाविदों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और युवा संगठनों आदि के लिए ये दस्तावेज़ ख़ासा सहायक साबित हो सकता है।

1 पृष्ठभूमि - युवा एजेंडा की ओर

विश्व विकास रिपोर्ट–2007 (विश्व बैंक–2006) का उपनाम *विकास और अगली पीढ़ियां* रखा गया जिसका मक़सद समाज में युवाओं की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालना है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 1985 में पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 12 अगस्त, 2010 से शुरू हुए वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 2010 का विषय रहा – *संवाद और आपसी समझ*। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 में संशोधन की प्रक्रिया के शुरू होने और इन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से युवाओं के महत्व का पता चलता है। युवा लोग भविष्य के नेता और नई सोच लाने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये आभास होता है कि ना तो उनकी आवाज़ सुनी जाती है और ना ही उनकी राय को तवज्जो दी जाती है।

> “भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है जो जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करने को आतुर है।”

अगले पृष्ठ पर दिये गये पिरामिड से ये साफ़ पता चलता है कि भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है जो जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करने को आतुर है।

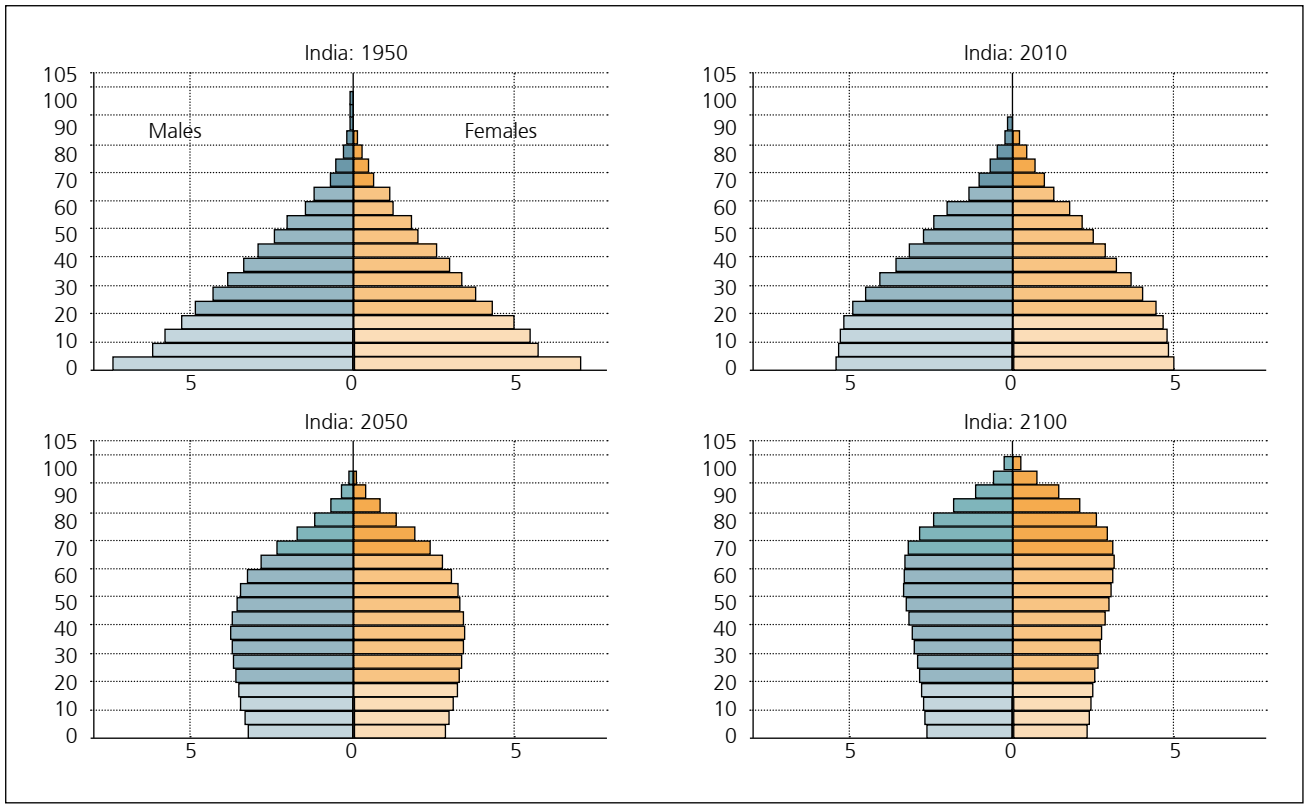

हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत एक विविधता वाला देश है जहां विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों से आने के बावजूद युवाओं के मन में एक सी ही आकांक्षाएं हैं। लेकिन उनकी ये आकांक्षाएं कैसे पूरी हों, इसे लेकर उनके विचार बिल्कुल अलग–अलग हो सकते हैं। इस विविधता को इस बात से समझा जा सकता है कि देश में हर ज़िले की अपनी विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर 93 प्रतिशत और 71 प्रतिशत है जबकि हरियाणा के ही मेवात ज़िले में ये दर 73 प्रतिशत और 38 प्रतिशत है। ऊपर दिया गया जनसंख्या पिरामिड ये साफ़तौर पर दर्शाता है कि क्यों हमें देशभर के युवाओं के लिए उन्हीं के द्वारा तैयार एक एजेंडा की तुरंत आवश्यकता है। हालांकि, युवा एजेंडा की बात करते वक़्त हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इसका मक़सद युवाओं को एक लाभान्वित होने वाला समूह बनाकर उनके लिए अलग से आरक्षण रखकर योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य विकास की योजना निर्माण और नीति निर्धारण में उनके सरोकार और दृष्टिकोण को सम्मिलित करना है।

2 उद्देश्य और विषय क्षेत्र

भारत का युवा एजेंडा विकसित करने का उद्देश्य था:

- युवाओं से संबद्ध मुद्दों की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण और प्रचार।
- नीति–निर्धारकों को समुचित और उपयुक्त नीति निर्धारण करने और उन पर अमल करने के संबंध में सुझाव देना।
- विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं की समस्याओं के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।
- नीतिगत निर्णयों में युवाओं के मुद्दों का समावेश।

विषय क्षेत्र

इस अध्ययन के अंतर्गत भारतीय सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक साझेदारों से सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। इसके दौरान सभी संभावित दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए युवाओं के मुद्दों का हर पहलू से संकेन्द्रित और विकेन्द्रित विश्लेषण किया गया।

“इस अध्ययन के अंतर्गत भारतीय सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक साझेदारों से सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया गया है।”

3 कार्य पद्धति

3.1 उपागम (Approach)

वाईएलटीटी सदस्यों ने पांच चरणों में गहन आंतरिक विचार–विमर्श (Brainstorming) और एफईएस के सहयोग से कार्य–योजना, दिशा निर्देश और मुख्य परिणामों को अंतिम रूप दिया। आंतरिक चर्चाओं से ये सामने आया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और वर्गों के सामने असीम समस्याएं हैं। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए एक व्यापक शोध किया गया। युवाओं से जुड़े मुद्दों और उनकी समस्याओं से संबंधित कई दस्तावेज़ और रिपोर्टस उपलब्ध हैं लेकिन इनमें से ज़्यादातर दस्तावेज़ किसी समस्या–विशेष या संदर्भ–विशेष पर सीमित थे। वाईएलटीटी ने ये महसूस किया कि उपलब्ध दस्तावेज़ इन मुद्दों की गंभीरता, प्रासंगिकता और तात्कालिकता के समग्र प्रतिचित्रण के लिए अपर्याप्त है। अतः हमें इन उपलब्ध दस्तावेज़ों और रिपोर्टस से आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत है।

> “ये महत्वपूर्ण है कि मुद्दों को उनकी गंभीरता, उनसे प्रभावित जनसंख्या और संभावित परिदृश्य के आधार पर प्राथमिकता दी जाए।”

इस दस्तावेज़ को समाधान–आधारित दृष्टिकोण (Solution-oriented Approach) के साथ तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत मुद्दों के असर को देखते हुए उनकी प्राथमिकता तय करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। इन समस्याओं के प्रभाव की गहराई को जांचने के लिए हमें उनके महत्व के स्तर, प्रभावित होने वाली आबादी के प्रतिशत, उनके सीधे असर और भविष्य के संभावित परिदृश्यों को समझना पड़ा।

इस प्रक्रिया के पीछे मूल विचार ये था कि संसाधनों और प्रयासों का अनुकूलतम आवंटन से अधिकतम असर किस प्रकार डाला जा सके। ये महत्वपूर्ण है कि मुद्दों को उनकी गंभीरता, उनसे प्रभावित जनसंख्या और संभावित परिदृश्य के आधार पर प्राथमिकता दी जाए क्योंकि संसाधनों की सीमितता के कारण सभी समस्याओं को एक साथ नहीं सुलझाया जा सकता। साथ ही चूंकि कई मुद्दे अंतर्संबंधित हैं और समान कारणों से उपजते हैं, अतः उच्च प्राथमिकता के एक मुद्दे के समाधान से उससे जुड़े कई अन्य वैसे मुद्दे भी, जो सतही तौर पर असंबद्ध लग सकते हैं, स्वतः ही हल हो जाएंगे।

3.2 प्रक्रिया

वाईएलटीटी ने संशोधित डेल्फ़ी तकनीक को अपनाया जिसके माध्यम से परिदृश्य विश्लेषण के रास्ते में मौजूद रूकावटों को दूर करना संभव हुआ और युवा एजेंडा अस्तित्व में आ सका। डेल्फ़ी तकनीक एक संरचित संचार तकनीक है जो कि सुनियोजित संवादात्मक पूर्वानुमान तकनीक है जो विशेषज्ञों से चर्चा पर निर्भर करती है (लिन्स्टोन और ट्यूरॉफ़, 1975)।

इस तकनीक के अंतर्गत तीन हिस्सों में काम किया गया– क्षेत्र सर्वेक्षण, साहित्य समीक्षा और विशेषज्ञों के साथ चर्चा। ये रिपोर्ट मुख्यतया विशेषज्ञों से प्राप्त सूचनाओं, क्षेत्र सर्वेक्षणों पर आधारित है (विशेषज्ञों की सूची के लिए परिशिष्ट K देखें)। साहित्यिक समीक्षा का उपयोग केवल चुनिन्दा प्रयोजनों के लिए किया गया।

वाईएलटीटी के सदस्यों ने देश के अलग–अलग हिस्सों में जाकर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क किया। सदस्यों ने अलग–अलग तकनीकों जैसे, सर्वेक्षण, भागीदारी कार्यक्रम, युवा शिविर, गोष्ठियों, कार्यशालाओं, चर्चाओं, वीडियो और लघु फ़िल्मों और निजी साक्षात्कारों के ज़रिए सूचनाएं एकत्रित कीं। देशभर में सूचनाएं एकत्र करने के लिए एक समान पद्धति का प्रयोग किया गया जिसमें प्रश्नावली में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीक संबंधी मुद्दों पर सवाल पूछे गए जो युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं (प्रारूप के लिए परिशिष्ट E देखें)। इन प्रश्नों में ना सिर्फ़ वर्तमान बल्कि भविष्य के संभावित परिदृश्य भी शामिल थे। सदस्यों को ज़रूरत के हिसाब से अतिरिक्त प्रश्न जोड़ने की स्वतंत्रता थी।

इस सर्वेक्षण के बाद एक प्रश्नावली तैयार की गई जिसके साथ देशभर में विशेषज्ञों से संपर्क किया गया (प्रारूप के लिए परिशिष्ट H देखें)। संशोधित डेल्फ़ी पद्धति के तहत एकत्रित जानकारी और विशेषज्ञों के साथ चर्चा के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। विशेषज्ञ कई राज्यों से और समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित थे। विशेषज्ञों से संपर्क करते समय ये बात ज़रूर ध्यान में रखी गई कि वे एक निश्चित आयु वर्ग से हों इसीलिए अस्सी प्रतिशत से ज़्यादा विशेषज्ञ 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग में थे।

4 चुनौतियां और बाधाएं

4.1 एजेंडा निर्धारण

युवा एजेंडा तय करने का विचार इस बात से आया कि इक्कीसवीं सदी में देश के विकास में युवाओं की भूमिका को लेकर एक नीतिगत पहल की आवश्यकता है। ये इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश के अनुकूलतम दोहन का स्वर्णिम अवसर है। साथ ही नई तकनीकों द्वारा प्रदत्त संचार सुविधा एवं सामाजिक गतिशीलता युवा एजेंडा के विकास के लिए अधिक प्रेरित करती है। इन विचारों ने युवा एजेंडा के लिए औचित्य और माध्यम प्रदान किया जिससे भारत के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। वाईएलटीटी ने जनसांख्यिकीय लाभांश को एक महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान से आगे बढ़कर एक समग्र दृष्टिकोण से देखने का भी प्रयास किया है।

जहां एक ओर विगत कुछ दशकों की नीतियों से कई युवा समूहों को विकास प्रक्रिया से जुड़ सके हैं वहीं इसका एक बड़ा हिस्सा इस पूरी प्रक्रिया से बहिष्कृत महसूस कर रहा है। एजेंडा तय करने के लिए जब हमने इन विविध युवा समूहों से संपर्क किया तो ये बात और स्पष्ट रूप से सामने आई। ये पूरी प्रक्रिया अग्रलिखित कारणों से ख़ासी कठिन और चुनौतीपूर्ण रही: बहिष्कृत युवा समूहों से संवाद स्थापित

“युवा एजेंडा तय करने का विचार इस बात से आया कि इक्कीसवीं सदी में देश के विकास में युवाओं की भूमिका को लेकर एक नीतिगत पहल की आवश्यकता है।”

करना, उपयुक्त विशेषज्ञों का चयन और इन युवा समूहों के साथ उन विशेषज्ञों की समानुभूति (Empathy) सुनिश्चित करना। एजेंडा तय करने की पूरी कार्य–पद्धति में कई संशोधन किए गए। हमने परिदृश्य रचना (Scenario Building) का प्रयास किया ताकि विशेषज्ञों की राय को उपयुक्त महत्व दिया जा सके और इसे अन्य विशेषज्ञों के संदर्भ में परिमाणित (Quantify) किया जा सके।

4.2 आंकड़ा एकत्रण

विशेषज्ञों की पहचान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था लेकिन वाईएलटीटी द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली पर उनके उत्तर लेना और भी कठिन था। विशेषज्ञों को युवा एजेंडा की ज़रूरत और इसके लिए एकत्रित आंकड़ों के महत्व के बारे

में पूरी जानकारी दी गई थी। विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया कुछ हद तक संतोषजनक थी लेकिन इसमें बहुत समय लगा और यह प्रक्रिया विशेषज्ञों के लिए ख़ासी थकावट भरी भी थी और कुछ अवसरों पर हमें इस प्रक्रिया के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा। लेकिन इससे हमारा विश्लेषण प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि विश्लेषण की इकाई विशेषज्ञ ना होकर विषय–विशेष और समूह–विशेष थी। हालांकि विशेषज्ञों से संपर्क करने और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए इंटरनेट और संबंधित तकनीकों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना प्रस्तावित था लेकिन अंततः टेलीफ़ोन पर बातचीत और वैयक्तिक मेलजोल से ये सब संभव हो सका। कुछ साक्षात्कारकर्ताओं के काम में मुद्दों और आंकड़े एकत्रित करने की पद्धति को पूरी तरह ना समझ पाने के कारण भी बाधा आई। इस प्रकार की शोध प्रक्रियाओं में आंकड़ा एकत्रण से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए हमने विशेषज्ञ चयन के मापदंडों को शिथिल किया और मुद्दों की बेहतर व्याख्या की।

4.3 आंकड़ा विश्लेषण

हमारे बेहतर प्रयासों के बावजूद हम अपनी परिकल्पनाओं (Hypotheses) के सत्यापन हेतु आवश्यक सांख्यिकीय परीक्षणों के लिए पर्याप्त आंकड़े एकत्रित नहीं कर सके। आंकड़ों के विश्लेषण के पहले स्तर पर हमने परिणामों को निम्नलिखित तीन प्रकार के परिदृश्यों के संदर्भ में सारणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया:

1. मुद्दे के समाधान की दिशा में ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं – सकारात्मक परिदृश्य
2. मुद्दे के संदर्भ में प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे – यथास्थिति परिदृश्य, और
3. मुद्दे की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाए – नकारात्मक परिदृश्य।

इन परिदृश्यों के अंतर्गत अगले पांच से दस वर्षों में इन मुद्दों के भावी स्वरूप के पूर्वानुमान का प्रयास किया गया।

अगले चरण में हमने इन मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और ये देखा कि क्या हमने सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मुद्दों को पहचान लिया है और क्या कोई अतिमहत्त्वपूर्ण मुद्दा छूट तो नहीं गया है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इन चिंताओं का समाधान कैसे किया जाए। यहां ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमारा विश्लेषण विशेषज्ञों की राय और उनके द्वारा दी गई रेटिंग्स पर आधारित है और हमारी धारणा है कि ये विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों, आयु वर्गों और समाज के अलग–अलग तबकों के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मान्यता दोषपूर्ण हो सकती है जिससे कि आंकड़ों और उनके विश्लेषण की वस्तुनिष्ठता सीमित हो जाती है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों और कई विधियों से प्राप्त निष्कर्षों के सत्यापन के द्वारा इस समस्या को न्यूनीकृत करने का प्रयत्न किया गया।

5 परिणाम

> “विश्लेषण के माध्यम से सामने आए कुछ उच्च प्राथमिकता वाले मुद्दे थे - बेहतर आधारभूत ढांचे की आवश्यकता, रोज़गार के अवसर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, समुचित शिक्षा और निर्वाचित प्रतिनिधियों की गुणवत्ता।”

5.1 मुद्दे - प्राथमिकता प्रतिचित्रण (Priority Mapping)

हमने एक आलेख बनाया है जो इन मुद्दों की प्राथमिकता निम्न मानदंडों पर दर्शाता है:

1. प्रभावित होने वाली आबादी,
2. गंभीरता का स्तर, और
3. अनुमानों पर विशेषज्ञों की सहमति का स्तर।

वाई अक्ष ये प्रदर्शित करता है कि मुद्दा कितनी आबादी को प्रभावित करता है, एक्स अक्ष पर स्थित गंभीरता ये बताती है कि मुद्दे का कितना प्रभाव है और वृत्त का आकार इन दो अक्षों पर विशेषज्ञों की सहमति का स्तर दर्शाता है। ये आलेख स्पष्टतः दर्शाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला या सबसे गंभीर मुद्दा स्वतः प्राथमिकता में सबसे ऊपर नहीं होता है।

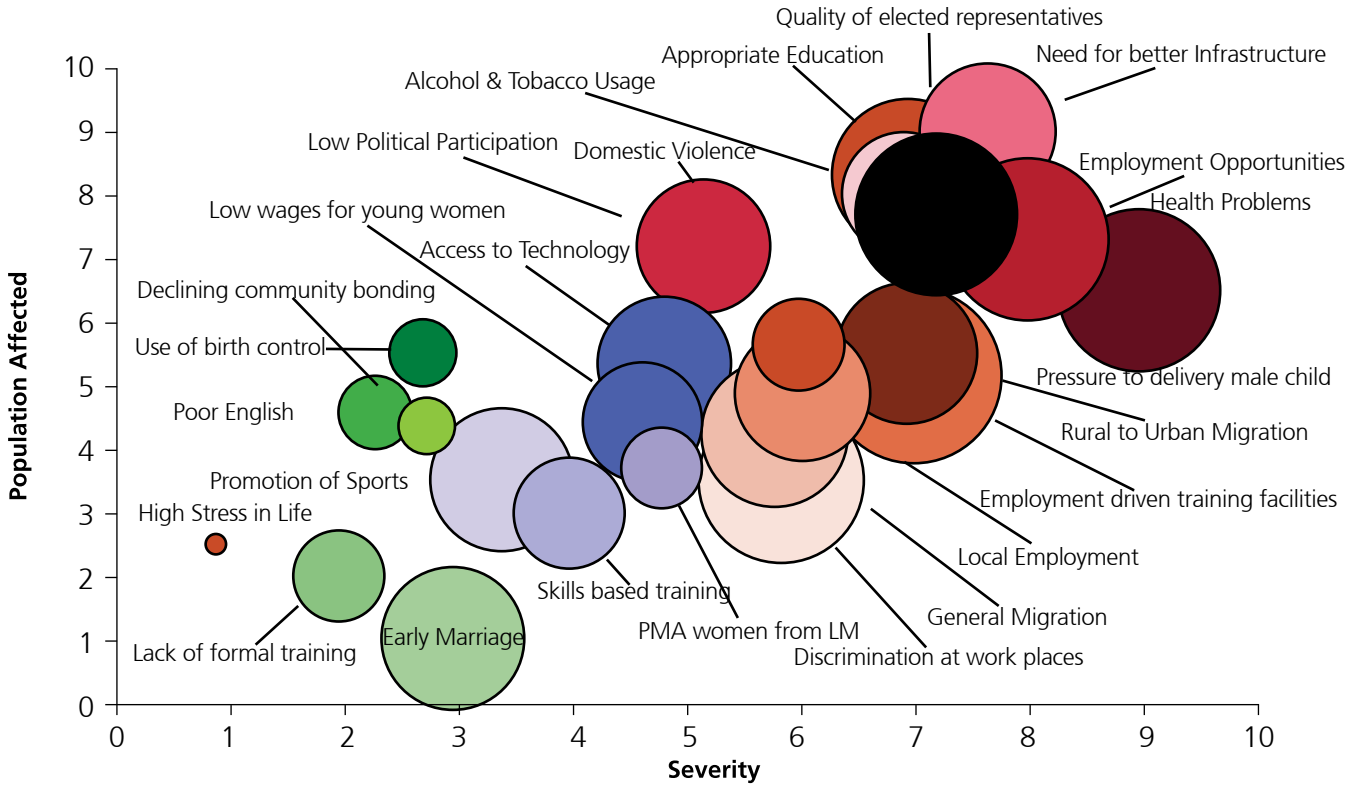

विश्लेषण के माध्यम से सामने आए कुछ उच्च प्राथमिकता वाले मुद्दे थे – बेहतर आधारभूत ढांचे की आवश्यकता, रोज़गार के अवसर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, समुचित शिक्षा और निर्वाचित प्रतिनिधियों की गुणवत्ता। कुछ प्रचलित मुद्दे जो अमूमन ध्यान आकर्षित करते हैं जैसे, अल्पायु में विवाह, हुनर–आधारित प्रशिक्षण, खेलों को बढ़ावा आदि, इस आलेख में कम प्राथमिकता वाले स्तर पर थे।

5.2 परिदृश्य और संस्तुतियां (Recommendations)

विश्व विकास रिपोर्ट 2007 (विश्व बैंक, 2006) ने ऐसे पांच अवस्थांतरों (Transitions) की पहचान की जो एक युवा में शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य, गृहस्थी और नागरिकता से संबंधित होते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इन अवस्थांतरों के बारे में लिए गए फ़ैसले अगर उपयुक्त हों तो, मानव पूंजी (Human capital) को बेहतर ढंग से विकसित, संरक्षित और प्रयुक्त किया जा सकता है''। रिपोर्ट ये भी कहती है कि प्रवास (Migration) एक महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया है जबकि आधारभूत ढांचा एक मुख्य नीतिगत क्षेत्र है जो युवावस्था में हो रहे अवस्थांतरों के दौरान मानव पूंजी सृजन को प्रभावित करते हैं। भारत का युवा एजेंडा विकसित करने में सामने आए मुद्दों को सात श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां हैं– शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य, गृहस्थी, नागरिकता, प्रवास और मूलभूत सुविधाएं (आधारभूत ढांचा)। इस भाग में सभी मुद्दों को तीन विभिन्न परिदृश्यों के नज़रिए से विश्लेषित किया गया है और संस्तुतियां नीचे दी गई हैं।

5.2.1 शिक्षा संबंधी मुद्दे

शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता देशभर में एक सर्वनिष्ठ विषय बनकर सामने आई है, लेकिन शिक्षा से आजीविका में सफल अवस्थांतरण में कई बाधाएं हैं जैसे, अंग्रेज़ी के उचित ज्ञान का अभाव, कौशल संबंधित और रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव। इन मुद्दों के संभावित परिदृश्य और निवारक और/या उपचारात्मक संस्तुतियां निम्नलिखित हैं–

मुद्दा	परिदृश्य	अनुमानित परिणाम
उपयुक्त शिक्षा	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• निम्नलिखित के बीच बेहतर मेल की स्थापना: ◆ वास्तविक जिन्दगी और पाठ्य पुस्तकें, ◆ वैयक्तिक रूचियां, क्षमताएं और पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त वैयक्तिक चुनाव, और ◆ पाठ्यक्रम और श्रम बाजार और समाज की वर्तमान जरूरतें।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रम पर ज़्यादा जोर। • मानविकी (Humanities) और मूल विज्ञान (Basic Sciences) में पाठ्यक्रमों का बढ़ता अभाव। • असल जिन्दगी और संस्थागत शिक्षा में तालमेल की अवनति।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• मूल विज्ञान और मानविकी या तथाकथित गैरपेशेवर पाठ्यक्रमों (Non-professional Courses) का बन्द होना। • निजी विश्वविद्यालयों के बढ़ते प्रचलन से वंचित वर्ग के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश और मुश्किल।
संस्तुति	**निवारक उपाय** • मूल विज्ञान की पढाई कर रहे छात्रों को प्रोत्साहन देना • नियोजनीय प्रशिक्षण (employability training) को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना। • शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषय के रोज़गार संबंधी पक्षों को सम्मिलित करना।	
व्यावहारिक अंग्रेजी शिक्षण का अभाव	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• बड़ी आबादी के लिए संगठित कार्यक्षेत्र (Organised Sector) में भागीदारी बढ़ना। • प्रवास पर रोक
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• अच्छी तनख्वाह वाली और संगठित क्षेत्र की नौकरियों में शहरी आबादी के अलावा अन्य लोगों की कम भागीदारी। • गैर–अंग्रेजी पृष्ठभूमि वाले उद्यमी और उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा अवसरों का सृजन।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• गैर–अंग्रेजी पृष्ठभूमि वाली शिक्षित आबादी के प्रति शिक्षा और रोज़गार के स्तर पर बढ़ता सर्वांगी (Systemic) भेदभाव।

संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • सिविल सोसायटी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को अंग्रेजी शिक्षा के क्षेत्र में शामिल करना, खासतौर पर उन युवाओं के लिए जिन्हे औपचारिक शिक्षा के दौरान अंग्रेजी सीखने का मौका नहीं मिला। • वयस्कों को अंग्रेजी सिखाने वाले संस्थानों की गुणवत्ता के विनियमन (Regulation) के लिए नीति बनाना। **निवारक उपाय** • अंग्रेजी के शिक्षकों के प्रशिक्षणकर्ताओं को आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर प्रयोजनमूलक (Functional) अंग्रेजी में प्रशिक्षित करना। • ये सुनिश्चित करना कि ये प्रशिक्षण विद्यालयों और कॉलेजों में भाषाई प्रयोगशालाओं के स्थापित होने से पहले दिया जाए। • दो पीरियडस के लिए अंग्रेजी बोलना अनिवार्य करना और इसका निरीक्षण। • स्थानीय सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण और परिचित अनुभवों पर आधारित अंग्रेजी के पाठ तैयार करना।	
कौशल-आधारित प्रशिक्षण तक पहुंच	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• इस धारणा की आम स्वीकृति कि कौशल–आधारित प्रशिक्षण सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं है। • देशभर में अधिकतम लोगों को नौकरियां दिलवाने वाले कौशल–आधारित प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• प्रशिक्षण संस्थानों में बड़ी तादाद में खाली सीटें। • इन पाठयक्रमों की घटती लोकप्रियता।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• मांग और आपूर्ति, दोनों के संदर्भ में कौशल और हुनर का असंतुलन। ज़्यादातर प्रशिक्षित लोग बिना रोज़गार के और अधिक रोज़गार की संभावना वाले ज़्यादातर उद्योगों में स्थापित कर्मचारियों की कमी।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • कौशल और हुनर प्रशिक्षण सत्रों को किताबी के बजाय क्रियात्मक बनाना। • सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नियोजनीय प्रशिक्षण अनिवार्य करना जिससे सभी विद्यार्थियों को नौकरी मिल सके। **निवारक उपाय** • स्कूल के शुरूआती दिनों से ही शारीरिक श्रम वाले कामों को महत्व देना जिससे हुनर संबंधी पाठयक्रमों की स्वीकार्यता बढ़े। • सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं (Guidance Professional) की भर्ती अनिवार्य करना। • स्थानीय रोज़गार केन्द्रों को मौजूदा कौशल और उपलब्ध अवसरों की पहचान करके उनका मिलान करने के लिए प्रशिक्षित और साधन संपन्न करना। • रोज़गारपरक परामर्श प्रक्रिया में अभिभावकों को शामिल करना।	
रोज़गार चालित प्रशिक्षण सुविधाएं	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• सभी पाठयक्रमों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना और सभी रोज़गार के अवसरों के लिए पाठयक्रम उपलब्ध कराना। • रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण सुविधाओं तक सबकी बराबर पहुंच।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण सुविधाओं की चुनिंदा क्षेत्रों में चुनिन्दा लोगों के लिए उपलब्धता। • मौजूदा पाठयक्रमों का श्रम बाजार से तालमेल ना बैठा पाने के कारण धीरे–धीरे विलोपन।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• कुछ नौकरियों के लिए ज़्यादा उम्मीदवार और कुछ उम्मीदवारों के लिए कई नौकरियां। • पेशेवर (Professional) पाठयक्रमों के लिए अंधी दौड़ की वजह से उपयुक्तता (Suitability) और नियोजनीयता की घोर उपेक्षा। • रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक सिर्फ चुनिन्दा लोगों की पहुंच।

संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • नियोजनीय हुनर (employability skills) को प्रशिक्षण पाठयक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाना। इसके बिना किसी पाठयक्रम को मंजूरी नहीं। • सभी नौकरी पूर्व और नौकरी में रहते हुए किए गए शिक्षक प्रशिक्षण (in-service and pre-service teacher training) कार्यक्रमों में प्रत्येक विषय के रोज़गार संबंधित आयामों को सम्मिलित करना। **निवारक उपाय** • मानवशक्ति अनुमान (Manpower Projection) के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में किसी पेशे के लिए खुलने वाले संस्थानों/पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या निर्धारित करना। • किसी क्षेत्र विशेष में कौशल की आवश्यकता के विश्लेषण के उपरांत ही नए पाठयक्रमों या संस्थानों की शुरूआत करना। • सुविधाहीन समुदाय बहुल क्षेत्रों में नए संस्थान खोले जाने को प्रोत्साहन देना। • मीडिया, पेशेवर लोगों और शिक्षकों के माध्यम से कथित गैर–पेशेवर पाठयक्रमों में रोज़गार की संभावनाओं को रेखांकित करना।

5.2.2 आजीविका संबंधी मुद्दे

जहां पर्याप्त रोज़गार के अवसरों का अभाव सभी क्षेत्रों और वर्गों में एक आम मुद्दा बनकर उभरा, वहीं ग्रामीण इलाक़ों और महिलाओं के बीच स्थानीय रोज़गार का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। इस खंड में काम के क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। श्रम बाज़ार से महिलाओं की विवाहोपरांत अनुपस्थिति एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा, कार्यस्थल पर उन्नति के अवसरों में भेदभाव, कम तनख्वाह और निम्न पद भी महिलाओं से जुड़े मुख्य मुद्दों के रूप में सामने आए। असंगठित क्षेत्र (जिसमें महिलाकर्मियों का अनुपात ज़्यादा होता है) में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव एक मुख्य मुद्दा रहा। इन मुद्दों के संभावित परिदृश्य और निवारक और/या उपचारात्मक संस्तुतियां निम्नलिखित हैं–

मुद्दा	परिदृश्य	अनुमानित परिणाम
रोज़गार के अवसर	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी के साथ उच्च जीवनस्तर।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• अमीर और ग़रीब के बीच के अंतर का बढ़ना, ख़ासकर शहरी इलाक़ों में। • महिलाओं के कौशल की घोर उपेक्षा।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• सामाजिक असंतोष और अन्य संबंधित समस्याएं।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • सभी वर्तमान रोज़गार – संबंधी योजनाओं की निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना और रोज़गार के नए अवसरों की खोज करना। • रोज़गार के क्षेत्र में सूचना देने के लिए एक पोर्टल का विकास। **निवारक उपाय** • किसी भी स्वरोज़गार पहल में शामिल करने से पूर्व व्यक्तियों और संगठनों की अनुकूलता का मूल्यांकन अनिवार्य करना। • अनुपयोगी भूमि को कृषि के लिए उपयोगी बनाना। • कृषि–संबंधित गतिविधियों और किसानों के लिए तकनीक संबंधी प्रशिक्षण और कौशल विकास पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना। • कृषि और अन्य सहायक गतिविधियों को आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद और प्रतिष्ठित (Prestigious & Cool) रोज़गार के रूप में प्रचारित करना।	

स्थानीय रोज़गार	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• जीविका–संबंधित पलायन में भारी कमी। • कृषि और शिल्पकला संबंधित गतिविधियों की आर्थिक रूप से फायदेमंद काम के रूप में स्वीकार्यता।
	यथास्थिति – ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• ग्रामीण से शहरी और छोटे से बडे शहरों में पलायन में वृद्धि।
	नकारात्मक– '' यदि उपेक्षा की जाए''	• ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों से पलायन में कई गुना वृद्धि। • कई पारंपरिक हुनर और पेशे विलुप्त।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • स्थानीय स्तर पर वर्तमान रोज़गार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक ऑडिट। **निवारक उपाय** • स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजन के लिए आजीविका आयोग (Livelihood Commission) का गठन। • पंचायत स्तर पर कौशल की पहचान और उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए निधि आवंटन और क्षमता निर्माण। • व्यापक स्तर पर एनडीटीवी के ग्रीनाथन (Greenathon) जैसे जनसंचार अभियान की शुरूआत, जिसके जरिए कृषि संबंधित गतिविधियों और अन्य पारंपरिक पेशों की लाभप्रदता को दर्शाया जा सके। • स्थानीय स्तर पर आजीविका सृजन के लिए सफल उदाहरणों का प्रलेखन (Documentation) एवं उन स्थानों पर विभिन्न भागीदारों (Stakeholders) का शैक्षिक भ्रमण।	
श्रम बाजार से महिलाओं की विवाहोपरांत अनुपस्थिति	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• उचित श्रम विभाजन द्वारा महिलाओं का समुचित सम्मान। • परिवार और बच्चों की जिन्दगी की गुणवत्ता में सुधार। • घरेलू काम को आर्थिक मायनों में उत्पादक कार्यों में शामिल करना।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव में बढ़ोत्तरी। • आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का खोना। • घरेलू हिंसा में बढ़ोत्तरी। पितृसत्ता का और मजबूत होना।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• कार्यक्षेत्र पर सामाजिक संपर्क के अवसरों के अभाव के कारण सामाजिक बहिष्कार। • महिलाओं में आत्मविश्वास का घोर अभाव, अतः सीमित आत्म–विकास।
संस्तुति	• श्रम की परिभाषा को विस्तृत किया जाए– गृह आधारितकामगारों को भी श्रमिक की श्रेणी में गिना जाए। • घर से किए जाने वाले कामों से ज़्यादा आय पाने के लिए महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं।	
कार्यस्थल पर नौकरी के अवसरों में भेदभाव	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• महिलाओं की कार्य–सहभागिता अनुपात में वृद्धि (work participation ratio)। • महिलाओं की गरिमा और सामाजिक पहचान में बढ़ोत्तरी।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• महिलाओं की कार्य सहभागिता में कमी।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव में बढ़ोत्तरी। • महिलाओं में स्वाभिमान और उत्साह की कमी जिससे कार्य सहभागिता में और कमी।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • कार्यस्थल को महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। • यौन शोषण के खिलाफ बने कानूनों का सख्ती से पालन। **निवारक उपाय** • नौकरी के सभी क्षेत्रों को महिलाओं के लिए उपलब्ध कराना। • महिलाओं के लिए तथाकथित प्रतिकूल क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की उपलब्धियों को सबके सामने लाना। • अभिभावकों को सलाह देना जिससे वे अपनी बेटियों को गैर–पारंपरिक क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करें। • कार्यस्थल पर मातृत्व और पितृत्व अवकाश अनिवार्य करना।	

अधिकतर युवा महिलाओं को कम तनख़्वाह	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• आर्थिक सशक्तिकरण (वित्तीय स्थिरता और गरिमा)। • मजबूत सामाजिक स्तर। • निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• पुरुषों पर महिलाओं की निर्भरता में बढ़ोत्तरी। • कामकाजी महिलाओं की संख्या की वृद्धि दर में कमी।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• बढ़ते सामाजिक और आर्थिक वंचन की वजह से बहिष्कार में वृद्धि। • सामाजिक असंतोष। • आत्मविश्वास का अभाव। • सीमित आत्म–विकास।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में नियोक्ताओं (Employers) को समान वेतन के बारे में जागरूक करना। • असमान वेतन को नियोक्ता के लिए दंडनीय अपराध बनाया जाए। • श्रम संगठनों में अधिक महिलाओं को शामिल करना। • महिलाओं के साथ अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संगठनों को समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण और हिमायत (Advocacy) के लिए प्रोत्साहित करना। **निवारक उपाय** • (नोटः कौशल विकास वेतन बढ़ाने का जरिया है, इसीलिए कौशल विकास से संबंधित सुझाव यहां लागू होंगे।)	
औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव (असंगठित क्षेत्र के लिए)	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• अधिकाधिक युवाओं को असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद रोज़गार। • असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए विकास के बेहतर अवसर जिससे सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• श्रम शक्ति के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से के लिए जीवनयापन की मुश्किलों का बढ़ना।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• राष्ट्रीय कौशल विकास आयोग और कई गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रदत्त कौशल विकास सुविधाओं के उपयोग से कर्मचारियों की आय और उत्पादकता में सुधार।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • असंगठित क्षेत्र के लिए बने राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए लोगों को मौजूदा अवसरों का लाभ उठाने के लिए आकर्षित करना जिसमें कौशल विकास पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, बजाए लोगों को सिर्फ सूचित करने के। • अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रहे गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना। **निवारक उपाय** • ऐसे काबिल पेशेवर लोगों का एक प्रकोष्ठ बनाना जो युवाओं को उनका पंसदीदा पाठ्यक्रम चुनने में मदद कर सकें। • अनौपचारिक कामगारों के नियोक्ता के लिए उनके कौशल का विकास अनिवार्य करना।	

5.2.3 स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

जहां महिलाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे विशेषरूप से सामने आए हैं, वहीं शराब और तंबाकू का इस्तेमाल और मादक पदार्थों का सेवन एक देशव्यापी समस्या के रूप में उभरा है। जीवन में रोजमर्रा के तनाव की समस्या शहरों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पाई गई है। इन मुद्दों के संभावित परिदृश्य और निवारक और/या उपचारात्मक संस्तुतियां निम्नलिखित हैं–

मुद्दा	परिदृश्य	अनुमानित परिणाम
शराब और तंबाकू उपयोग	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• उपभोग में मामूली कमी। • मूल्यों पर मामूली नकारात्मक प्रभाव लेकिन आर्थिक उत्पादकता पर सीमित प्रतिकूल प्रभाव।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• उपभोग में वृद्धि और श्रम उत्पादकता में खासी कमी। • युवा वर्ग में उपभोग में बढ़ोत्तरी।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• बड़े पैमाने पर सामाजिक असंतुलन और असंतोष। • प्रभावित स्कूली छात्रों और किशोरों की संख्या और उनमें उपभोग में वृद्धि। • श्रम उत्पादकता और मानव जीवन का भारी नुकसान।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • ज़मीनी स्तर के संस्थानों (जैसे पंचायतों और सरकारी विद्यालयों) के लिए नशा पीड़ितों को वर्तमान व्यसनरोधी और पुनर्वास सुविधाओं से जोड़ना अनिवार्य करना। • नशे के आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों पर प्रकाश डालने वाले स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार अभियान चलाना। • शराब और तंबाकू संबंधी समस्याओं को पंचायतों के मूल्यांकन से जोड़ना और ज़्यादा जबावदेही तय करना। उन्हें शराब की दुकानों की संख्या पर निगरानी और नियंत्रण रखने का अधिकार देना। **निवारक उपाय** • छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में खेलकूद और मनोरंजन सुविधाओं का विकास। • युवाओं को संवेदनशील बनाने के लिए संबंधित विषयों के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना। • समकक्ष वार्तालाप (peer-to-peer dialogue) द्वारा, आशा (AASHA) की तर्ज पर, समकक्ष प्रशिक्षक (peer trainer) तैयार करने पर ज़ोर देना। • परोक्ष धूम्रपान करने वाले व्यक्ति (Passive Smoker) के लिए कानूनी उपाय।	
मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• अपराधों में खासी कमी। • सामाजिक सदभाव और सामाजिक मूल्यों में वृद्धि।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• अपराधों में तेज़ दर से वृद्धि।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• महामारी से होने वाली मौतों में वृद्धि। • साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक–आर्थिक स्तर पर भी प्रतिकूल प्रभाव। • सामाजिक असंतुलन में वृद्धि। • घरेलू हिंसा में और वृद्धि। • अपराध दर में बढ़ोत्तरी।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और वहां संकेन्द्रित हस्तक्षेप। • बेहतर और व्यापक पुनर्वास सुविधाएं। • पुनर्वास सुविधाओं के लिए और ज़्यादा निधि आवंटन। • मादक पदार्थ निरोधक कानूनों के शीघ्रतम पालन के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन। **निवारक उपाय** • अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और संकेन्द्रित सुधारात्मक कार्यवाही। • सांस्कृतिक और सामाजिक हस्तियों को लेकर नए और गहन अभियान चलाना (पल्स पोलियो अभियान की तरह)। • स्कूली पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों को शामिल करना। • खेलकूद को बढ़ावा देना जिससे युवाओं को सही मार्ग मिले।	

स्वास्थ्य समस्याएं	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• कम सुविधा प्राप्त ग्रामीण आबादी और शहरी गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। • मृत्यु दर में भारी कमी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण औसत उम्र का बढ़ना। • स्वास्थ्य सुविधाओं की लागत सभी वर्गों और राज्यों पर यथानुपातिक भार।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान केन्द्रीकरण, अधिकतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष सुविधा वाले अस्पतालों (Super Speciality) के रूप में होना। • सरकार पर ज़्यादा वित्तीय भार। • बढ़ता आर्थिक तनाव और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बढ़ते स्वास्थ्य संबंधी ऋण का बोझ।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• जनस्वास्थ्य तंत्र का पूरी तरह से चरमराना। • शहरी गरीबों की आर्थिक संवेदनशीलता (Vulnerability) में वृद्धि। • ग्रामीण आबादी और शहरी गरीबों के लिए ज़्यादा आर्थिक दिक्कतें। • रोकथाम की उपेक्षा और उपचार को गैरज़रूरी तरजीह।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • जेनेरिक (Generic) दवाओं के वितरण के लिए विस्तृत नेटवर्क। • सरकारी डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाओं को लिखना और देना अनिवार्य। **निवारक उपाय** • आम बीमारियों के कम खर्चे पर उपचार के लिए मानदंड तय करना, जिससे बीमा कंपनियों को ज़्यादा रिस्क कवरेज के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। • स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए ग्रामीण और खासकर जनजातीय इलाकों में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य करना। • निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ज़्यादा खर्च।	
जीवन में तनाव	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• तनाव से निपटने के लिए किसी रणनीति की कोई आवश्यकता नहीं। • तनाव संबंधित हिंसा खत्म। • कार्य संबंधी उत्पादकता में वृद्धि। • स्वस्थ होने की बेहतर अनुभूति
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• आमतौर पर और ख़ासकर युवाओं में प्रतियोगिता से संबंधित तनाव में वृद्धि। • युवाओं की कार्यसंबंधी उत्पादकता और रचनात्मकता में गिरावट।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बढ़ता सामाजिक असंतोष। • स्वास्थ्य संबंधी ख़तरों में बढ़ोत्तरी। • अपराध दर में संभावित वृद्धि।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • युवाओं के लिए खेलकूद, रचनात्मक और मनोरंजन के अवसर तथा सलाह केन्द्र जैसे समुचित मंच उपलब्ध करवाना। **निवारक उपाय** • सभी स्कूलों, कॉलेजों, संगठनों और कंपनियों में तनाव प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की भर्ती अनिवार्य। • स्कूलों में ऐसे प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत जिनसे जिन्दगी में उचित लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिले।	

5.2.4 गृहस्थी संबंधी मुद्दे

इस विषय के अंतर्गत आने वाले मुद्दों में शामिल हैं– अल्पायु में विवाह, ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, गर्भनिरोधकों का अपर्याप्त इस्तेमाल, बेटा पैदा करने का दबाव (ख़ासतौर पर उत्तरी भारत के बड़े हिस्से में) और घरेलू हिंसा (दक्षिणी भारत के कुछ विकसित राज्यों तक में)। इन मुद्दों के संभावित परिदृश्य और निवारक और/या उपचारात्मक संस्तुतियां निम्नलिखित हैं–

मुद्दा	परिदृश्य	अनुमानित परिणाम
गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। • महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• जनसंख्या नियंत्रण में ख़ासा सुधार। • परिवार में गर्भनिरोधक के इस्तेमाल पर निर्णय लेने के अधिकार में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीर ख़तरा। • परिवार एवं देश के सीमित संसाधनों पर दबाव में वृद्धि।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • उच्च उर्वरता समूह के लोगों की ओर लक्षित आचरणगत परिवर्तन संचार (Behavioural change communication) जिसमें किसी विशेष पुनरुत्पादन संबंधी व्यवहार को शुरू करने, बदलने या रोकने के लिए लक्षित संचार किया जाता है। **निवारक उपाय** • प्रभावी धार्मिक नेताओं को आबादी नियंत्रण संबंधी संदेशों के प्रसार में शामिल करने का सतत प्रयास।	
अल्पायु में विवाह	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• अल्पायु में होने वाले विवाहों की संख्या में कमी।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• अल्पायु में विवाह जारी रहेंगे, कई मामलों में लड़कियों के व्यापार पर परदा डालने के लिए।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• दुल्हनों की ख़रीद–फ़रोख़्त में वृद्धि। • मातृ मृत्यु दर में वृद्धि। • बाल मृत्यु दर में वृद्धि। • वेश्यालयों में छोटी उम्र की लड़कियों को सेक्सकर्मियों के रूप में बेचे जाने के मामलों में वृद्धि।
संस्तुति	**निवारक उपाय** • कम उम्र में होने वाली शादियों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियानों को प्रोत्साहित करना। • ग्रामीण क्षेत्रों तथा मलिन बस्तियों (slums) में रहने वाले अभिभावकों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज़ करना। • विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य करना। • लड़की की उम्र के सत्यापन के बाद ही विवाह का पंजीकरण।	
बेटा पैदा करने का दबाव	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• लिंग अनुपात में स्थिरता और सुधार। • महिलाओं पर बेटा पैदा करने के दबाव में कमी।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• लिंग अनुपात में गिरावट जारी।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• महिला भ्रूण हत्या के मामलों में वृद्धि। • लिंग अनुपात के अंतर में बढ़ोत्तरी। • कमज़ोर पारिवारिक संबंध। • बढ़ता लिंगाधारित भेदभाव। • माताओं में मानसिक व्याधियों का बढ़ना।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • पंचायतों और आंगनवाड़ीकर्मियों द्वारा प्रजनन की निगरानी और आंकड़े इकट्ठा करना। • पंचायतों के स्तर पर लिंगानुपात पर वार्षिक स्टेटस रिपोर्ट का प्रकाशन। • प्रतिकूल लिंगानुपात वाली पंचायतों में नियोजित और संकेन्द्रित कार्रवाई। **निवारक उपाय** • जनसामान्य को असमान लिंगानुपात के ख़तरों और नुक़सानों के बारे में शिक्षित करना। • परिवारों में निर्णय लेने वाले सदस्यों को परामर्श देना। • भाग्यलक्ष्मी जैसी योजनाएं पूरे देश में लागू करना।	

घरेलू हिंसा	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• जनता की जागरूकता के कारण घरेलू हिंसा के अधिकाधिक मामलों का सामने आना। • अधिक घरेलू हिंसारोधी अभियान।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• घरेलू हिंसा की छिटपुट घटनाओं का सामने आना। • प्रतिरोध में कमी।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि। • महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्तर में और अधिक गिरावट जिससे स्त्री और पुरुषों के बीच अंतर में और वृद्धि।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2007 में दी गई सिफ़ारिशों के अनुसार, घरेलू हिंसा की वर्तमान परिभाषा का विस्तार और उसमें वस्त्रों, भोजन और रहने के स्थान की अपर्याप्तता को आर्थिक शोषण के वर्ग में जगह देना। • घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्टिंग एवं उस पर की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी और दस्तावेज़ीकरण। • घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए समर्थन तंत्र की स्थापना जिससे वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। **निवारक उपाय** • पुलिस को घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने के संबंध में प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना। • मीडिया और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जनमानस को जागरूक बनाना। • शराब और मादक पदार्थों पर नियंत्रण करना जिससे घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी आए।	

5.2.5 नागरिकता संबंधी मुद्दे

एक मतदाता और प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का गिरता स्तर एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। चुने हुए प्रतिनिधियों का ख़राब स्तर और सामुदायिक स्तर पर लोगों में जुड़ाव का अभाव इस समस्या के अन्य पहलू हैं। इन मुद्दों के संभावित परिदृश्य और निवारक और/या उपचारात्मक संस्तुतियां निम्नलिखित हैं–

मुद्दा	परिदृश्य	अनुमानित परिणाम
राजनीतिक प्रतिभागिता का नीचा स्तर	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• लोकतांत्रिक नीति–निर्धारण। • युवाओं, महिलाओं, समाज के निचले वर्गों के लोगों और अल्पसंख्यकों का अर्थवान प्रतिनिधित्व।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• वोट बैंक की राजनीति के चलते आबादी के बड़े हिस्से की रूचि राजनीति में से ख़त्म होना।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का पार्श्वीकरण (Marginalisation)। • राजनीति पर बढ़ते अविश्वास और राजनीतिक वर्ग से बढ़ती दूरी के चलते गहराता राजनीतिक संकट।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • उन नियमों की समीक्षा, जिनके चलते युवा राजनीति में भागीदारी से दूर हो रहे हैं (जैसे दो से ज़्यादा बच्चों की मां पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकती)। **निवारक उपाय** • राजनीति को एक अच्छे वेतन वाले करियर के रूप में प्रोत्साहित करना जिससे युवा इसमें रूचि ले सकें। • स्कूलों में लोकतांत्रिक नागरिकता पर अध्यायों की शुरूआत जिसमें राजनीतिक संगठनों का दौरा भी शामिल हो। • पंचायत से संसद तक के सभी स्तरों पर युवा प्रतिनिधियों के लिए विशेष आरक्षण।	

निर्वाचित प्रतिनिधियों की गुणवत्ता	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• समाज के सभी तबकों के प्रतिभाशाली युवाओं में राजनीति में आने की ज़्यादा इच्छा। • देश में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का जल्द समाधान।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• जनता के हितकर के रूप में सरकार की भूमिका पर अविश्वास का बढ़ना। • राजनीतिक उदासीनता का बढ़ना।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• रणनीतिक अथवा ग़ैर–राजनयिक प्राथमिकताओं के आधार पर नीतियों और विधायिका की दिशा का निर्धारण में और गिरावट।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • जनप्रतिनिधियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रमों (Management Development Programme) की तर्ज पर तीन से छह माह के गहन कार्यक्रम । • शासन प्रणाली के लिए थिंक टैंक जैसे एक संस्थान की स्थापना और राजनीतिक प्रतिनिधियों की राजनीति विज्ञान और जन सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों से नियमित चर्चाओं का आयोजन। **निवारक उपाय** • उपयुक्त उम्मीदवारों को मौक़ा देने के लिए शैक्षिक योग्यताओं और अनुभव की सूची बनाना और उसका पालन करना। • निर्वाचित प्रतिनिधियों के व्यवहार, ज्ञान और नज़रिए में सुधार के लिए राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य अनुदान।	
सामुदायिक सदभाव की घटती भावना	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• सामाजिक सद्भाव और निरंतरता में वृद्धि।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• ज़रूरी सामुदायिक समारोहों के निजीकरण को बढ़ावा।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• नागरिकों में व्यक्तिवादी लक्षणों की वजह से सामुदायिकता की भावना में कमी जिससे और अधिक बिखराव तथा अलग–थलग रहने की प्रवृत्ति।
संस्तुति	• साझा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए समर्पित जन अनुदान। • सामुदायिक केन्द्रों और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए राशि आवंटन।	

5.2.6 प्रवास संबंधी मुद्दे

स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और नौकरी के लिए अंतर्राज्यीय और ग्रामीण इलाक़ों से शहरों की ओर पलायन देशभर में युवाओं के सामने एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया जो लाखों युवाओं के जीवन की दिशा को निर्धारित कर रहा है। इन मुद्दों के संभावित परिदृश्य और निवारक और/या उपचारात्मक संस्तुतियां निम्नलिखित हैं–

मुद्दा	परिदृश्य	अनुमानित परिणाम
आम पलायन (मूलतःअंतर्राज्यीय)	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• भारी आर्थिक लाभ। • मज़बूत अंतःसामुदायिक जुड़ाव। • जाति–जनित बाधाओं में कमी। • सही हुनर की उपलब्धता।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का ह्रास। • प्रादेशिक और सांस्कृतिक पहचान का खोना। • प्रवासियों के लिए मूल सुविधाओं का अभाव। • कुछ शहरों में कौशल और प्रशिक्षण की उपलब्धता और बाक़ी क्षेत्रों में कम उपलब्धता।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• ख़राब क़ानून और व्यवस्था। • राज्यों और क्षेत्रों का संकीर्ण विकास।

संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • प्रवासी समर्थन सेवाओं की शुरूआत (जैसे एलपीजी कनेक्शन देना, रहने की जगह मिलना), जिससे प्रवासियों को एक नई ज़िन्दगी की शुरूआत करने में आसानी हो। • प्रवासियों की कॉलोनियों को नियमित करना। **निवारक उपाय** • स्थानीय उद्यमियों के लिए उदार ऋण और कर नीति और उसके लिए उचित तकनीकी समर्थन। • हर 4–5 ज़िलों के लिए एक आदर्श विश्वविद्यालय, हर एक ज़िले के लिए एक आदर्श कॉलेज और हर खंड के लिए एक आदर्श स्कूल की स्थापना। • हर अनुबंध में स्थानीय क्षेत्र विकास खर्च संबंधी कर जोड़ना। • हर क्षेत्र में शहरी केन्द्रों का विकास जिससे विकास को गति मिल सके, जैसे पांच ज़िलों पर एक आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र। • उचित और निष्पक्ष भूमि अधिग्रहण नीति का पालन। • छोटे शहरों और ग्रामीण इलाक़ों में ग़ैर–कृषि बाज़ारोन्मुख रोज़गार का सृजन। • युवाओं को नौकरी देकर भूमि अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति करना।	
ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• अकुशल श्रमिकों की आय के स्तर में इज़ाफ़ा। • श्रमिकों का कौशल–आधारित अनुकूलतम पलायन। • शहरों में प्रवासियों के लिए बेहतर ज़िन्दगी।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• आय के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव के साथ अकुशल श्रमिकों के पलायन में गिरावट। • कुछ शहरों में कुशल श्रमिकों का केन्द्रीकरण और कई अन्य क्षेत्रों में उनकी अनुपलब्धता। • शहरों के आधारभूत ढांचे का अधिक ह्रास।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• प्रवासियों का गिरता जीवन स्तर। • हिंसा में बढ़ोत्तरी। • सामाजिक और राजनीतिक असंतोष। • जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। • अल्पाधिकारप्राप्त लोगों के लिए एक नया वर्ग – प्रवासी।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • शहरों में संसाधनों के सक्रिय प्रबंधन का अनुपालन। • गांवों और मलीन बस्ती के लिए नागरिक सुविधाओं का अनिवार्य प्रावधान। **निवारक उपाय** • कृषि आधारित और ग़ैरकृषि–आधारित लघु उद्योगों को चलायमान रखने के लिए पर्याप्त ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकसित करना। • स्थानीय रोज़गार–परक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उच्चस्तरीय लक्षित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, जैसे, किन्नौर में पर्यटन/सेब का व्यापार, उत्तरी बिहार में मखाना का व्यापार आदि।	

5.2.7 मूलभूत सुविधाओं संबंधी मुद्दे

जहां उत्तरपूर्वी राज्यों में खेलकूद को बढ़ावे के अभाव को मुख्य समस्या माना गया, वहीं ऊर्जा और संचार क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत ढांचे की ज़रूरत और ग्रामीण समुदायों में तकनीकी की कठिन पहुंच जैसे मुद्दे उभर कर सामने आए। इन मुद्दों के संभावित परिदृश्य और निवारक और/या उपचारात्मक संस्तुतियां निम्नलिखित हैं–

मुद्दा	परिदृश्य	अनुमानित परिणाम
बेहतर आधारभूत ढांचे की ज़रूरत	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• राज्यों के अंदर और अंतर्राज्यीय पलायन पर आंशिक रोक। • भीतरी या पृष्ठ प्रदेश में एक समान विकास।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• राज्यों के अंदर होने वाले प्रवास से पूरी व्यवस्था तंत्र का चरमरा जाना।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• बड़े पैमाने पर शहरी पलायन। • परंपराओं और स्थानीय संस्कृति के ताने–बाने को क्षति।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • सूचना का अधिकार संबंधी सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसे उदाहरण देना जहां आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे की योजनाओं की ख़राबियां उजागर करने में किया गया हो। • बुनियादी ढांचे से जुड़ी सभी परियोजनाओं के सामाजिक ऑडिट के प्रावधान को अनिवार्य करना। **निवारक उपाय** • हर राज्य के बुनियादी ढांचे का ऑडिट और उसके मूल्यांकन पर आधारित नई योजनाओं की शुरूआत। • पंचायतों के लिए आवंटित विकास कोष के ज़रिए बुनियादी ढांचा बनाने के तरीक़ों की खोज के लिए क्षमता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में अध्याय जोड़ना। • औद्योगिक घरानों के लिए अपने लाभ का एक हिस्सा अपने क्षेत्र के बुनियादी विकास में देना अनिवार्य करना।	
तकनीक तक कठिन पहुंच	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• डिजिटलीकरण का सम्यक लाभ जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोज़गार के अवसरों तक पहुंच में आश्चर्यजनक सुगमता।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• शिक्षा और नौकरी के लिए तैयारी के मार्ग में डिजिटल खाई मौजूद होना।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• डिजिटल खाई का गहराना जिससे सामाजिक असंतोष।
संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सर्व सेवा केन्द्रों (Common Service Centres) को तकनीक के इस्तेमाल की क्षमता बढ़ाने की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी सौंपना। • मौजूदा तकनीकी आधारभूत ढांचे के अधिकतम इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए तकनीक अपनाने संबंधी शोधों (Technology Adoption Studies) को अमल में लाना। **निवारक उपाय** • तकनीक के अनुपयोग को रोकने के लिए इस तक पहुंच बनाने से पहले तकनीक के प्रयोग की क्षमता पैदा करना अनिवार्य करना। • पारंपरिक तकनीकों को रिकॉर्ड करना और उनका प्रसार करना जिसकी शुरूआत राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (National Innovation Foundation) ने की है।	
खेलों को प्रोत्साहन का अभाव	सकारात्मक– ''यदि ईमानदार और सच्चे प्रयास किए जाएं''	• युवाओं के लिए समुचित स्वास्थ्य के सूचकों में बेहतरी। • युवाओं की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग जिससे हिंसा और अशांतिकारी गतिविधियों में कमी। • अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन।
	यथास्थिति– ''प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे''	• आमतौर पर खेलकूद के महत्व के बारे में लोगों में ज़्यादा जागरूकता। • पारंपरिक खेलों का धीमी गति से विलुप्त होना।
	नकारात्मक– ''यदि उपेक्षा की जाए''	• असामाजिक गतिविधियों में युवाओं की ज़्यादा संलग्नता। • पारंपरिक खेलों का लगभग विलुप्त होना। • अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में नगण्य उपलब्धियां।

संस्तुति	**उपचारात्मक उपाय** • खेल परिसंघों से सभी राजनेताओं को हटाकर खिलाड़ियों को लाना। • ओलम्पियनों और अन्य खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद कुछ रचनात्मक अनुबंध सुनिश्चित करना। **निवारक उपाय** • स्कूल में नियमित रूप से खेलकूद के लिए समयसारिणी। • छात्रों के मूल्यांकन में स्कूल स्तर पर खेलकूद में प्रतिभागिता को मानदंड बनाना। • प्राथमिक स्कूल के स्तर पर ऐसे विद्यार्थियों को पहचानना जिनमें खेलकूद में करियर बनाने की क्षमता हो और उन्हें ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। • ज़िलास्तर पर उच्चस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना। • ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत खेलकूद का ढांचा तैयार करने के लिए पंचायतों को धन का आवंटन। • पूर्व खिलाड़ियों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए औपचारिक व्यवस्था तकनीकों की शुरूआत।

6 निष्कर्ष

लगभग दो वर्ष पहले, वाईएलटीटी ने भारत के युवा एजेंडा को तैयार करना शुरू किया था। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों के युवा विशेषज्ञों और युवाओं के साथ विचार–विमर्श के कई चरणों के बाद युवाओं के दृष्टिकोण से हम कुछ मुद्दों को पहचानने और उनकी प्राथमिकता तय कर सके हैं। हम लोगों में से कुछ को ऐसा लग सकता है कि इस दस्तावेज़ में से कई मुद्दे ग़ायब हैं। इसका कारण समस्या से प्रभावित आबादी के आकार और उसकी गंभीरता को लेकर अपनाई गई हमारी पद्धति हो सकती है। कुछ मुद्दे जो ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं करते, प्राथमिकता सूची में काफ़ी ऊपर हो सकते हैं लेकिन हमारा मानना है कि उनसे स्थानीय स्तर पर निपटा जा सकता है। इसी तरह कुछ मुद्दे भले ही काफ़ी बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं, उनके लिए उसी अनुपात में संसाधनों का आवंटन और प्रयत्न नहीं हो सकता। हमने विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण निम्नलिखित आधारों पर किया:

1. विषय–विशेष से प्रभावित होने वाली आबादी,
2. प्रभाव की गहनता, और
3. विशेषज्ञों के अपनी राय के बारे में विश्वास का स्तर।

मुद्दों के इस प्रतिचित्रण से ये साफ़ है कि यदि कोई मुद्दा बड़ी आबादी को प्रभावित करता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वह मुद्दा बहुत गंभीर ही हो। उसी तरह यह भी ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा गंभीर मुद्दों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। विश्लेषण के माध्यम से सामने आए कुछ ऊंची प्राथमिकता वाले मुद्दे थे – बेहतर आधारभूत ढांचे की आवश्यकता, रोज़गार के अवसर, स्वास्थ्य समस्याएं, समुचित शिक्षा, निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्तर। कुछ मुद्दे जो सामान्य तौर पर ध्यान आकर्षित करते हैं वो इस प्रतिचित्रण में दिखाई नहीं दिए, जैसे, अल्पायु में विवाह, हुनर–आधारित प्रशिक्षण, खेलों को बढ़ावा आदि। मुद्दों के प्राथमिकता स्तर को तय करने से संभवतया हमें समस्याओं के महत्व और प्रभाव के क्रम को तय करने में मदद मिलेगी। साथ ही चूंकि कई मुद्दे अंतर्संबंधित हैं और समान कारणों से उपजते हैं, अतः उच्च, प्राथमिकता के एक मुद्दे के समाधान से उससे जुड़े कई अन्य वैसे मुद्दे भी, जो सतही तौर पर असंबद्ध लग सकते हैं, स्वतः ही हल हो जाएंगे। वाईएलटीटी ने विशेषज्ञों से प्राप्त सूचनाओं को 25 मुद्दों के लिए तीन प्रकार के परिदृश्य तैयार करने में इस्तेमाल किया:

1. मुद्दे के समाधान की दिशा में वास्तव में प्रयास किए जाएं – सकारात्मक परिदृश्य
2. मुद्दे के संदर्भ में प्रयासों की वर्तमान स्थिति बनी रहे – यथास्थिति परिदृश्य, और
3. मुद्दे की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाए – नकारात्मक परिदृश्य। इन परिदृश्यों की सहायता से समस्याओं को बढ़ने से रोकने और उनकी संभावित रोकथाम के उपायों की पहचान करने में मदद मिली।

हालांकि हमने एक व्यापक दस्तावेज़ बनाने का प्रयत्न किया है जिससे देश की युवा ऊर्जा के समुचित दोहन के सपने को साकार करने में मदद और दिशा मिल सकती है लेकिन हम इस तथ्य से भली–भांति परिचित हैं कि कोई भी युवा एजेंडा स्थिर और अपरिवर्ती नहीं हो सकता। कई लोगों के लिए ये निष्कर्ष ज़ाहिर तौर पर ताक्रिक हो सकता है लेकिन हमारे लिए ये निष्कर्ष एक कठिन और जटिल प्रक्रिया और शोध के बाद सामने आया है जहां आंकड़ों और अवलोकन

> “मुद्दों के प्राथमिकता स्तर को तय करने से संभवतया हमें समस्याओं के महत्व और प्रभाव के क्रम को तय करने में मदद मिलेगी।”

का विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कई मुद्दे आगे चलकर एक अलग दिशा और रूप अख्तियार करेंगे और इसी कारण से ना सिर्फ़ उनके समाधान के तरीक़ों, बल्कि उन्हें देखने के नज़रिए में भी में लगातार बदलाव की ज़रूरत है । उदाहरण के लिए एक मुद्दा जो अभी शहरी संदर्भ में प्रासंगिक है, कुछ वर्षों बाद ग्रामीण संदर्भ में ज़्यादा प्रासंगिक नज़र आ सकता है। इसीलिए युवाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए क़दमों के नियमित मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्था एवं प्रक्रिया की ज़रूरत है। इसके अलावा ज़मीनी स्तर से एकत्रित प्रतिपुष्टि (Feedback) के आधार पर एक स्वसंशोधन चक्र (Self Correcting Loop) के निर्माण की भी आवश्यकता है। हम विभिन्न मंचों के माध्यम से विचारों के आदान–प्रदान की प्रक्रिया को जारी रखने की इच्छा रखते हैं ताकि नीतियों और रूपरेखाओं (Framework) को लेकर मुद्दों और सुझावों के साथ एक संपूर्ण एजेंडा तैयार हो सके।

यहां ये बताना ज़रूरी है कि ये एक सक्रिय और परिवर्तनशील दस्तावेज़ है। संभावित प्रामाणिक और ठोस अध्ययन के मद्देनज़र इस दस्तावेज़ को और विकसित किया जा सकता है। बड़े स्तर पर युवा मामलों पर काम करने वाले नीति–निर्धारकों, शिक्षाविदों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और युवा संगठनों आदि के लिए ये दस्तावेज़ ख़ासा सहायक साबित हो सकता है।

इस दो वर्ष लंबी प्रक्रिया के दौरान ''कुछ भी ठीक नहीं है'' की भावना के बीच, विशेषज्ञों और युवाओं के असीम उत्साह ने हमें छू लिया। ये बात सबसे उत्साहजनक थी क्योंकि युवाओं और उनके प्रतिनिधियों का ये विश्वास है कि वो ''कुछ अलग'' कर सकते हैं और महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि देखने का नज़रिया चाहे कितना भी उदासीन या निराशाजनक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि हम सम्मिलित और प्रकाशमान भविष्य के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। बेहतर भविष्य के लिए उबलता क्रोध और चमकती उम्मीद ही है जो भारत के सशक्त युवा एजेंडा के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए आशा की किरण पैदा करता है।

संदर्भ सूची

Linstone, H.A. & Turoff, M. (1975). *The Delphi Method: Techniques and Applications*. Reading, Mass.: Addison-Wesley

World Bank (2006). *World Development Report-2007: Development and the next generations*. Washington DC: World Bank

परिशिष्ट

परिशिष्ट A

यंग लीडर्स थिंक टैंक (वाईएलटीटी) और युवा एजेंडा: शुरूआत

फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ़्टंग (एफईएस) के भारतीय कार्यालय ने युवा लोगों का एक समूह बनाया जिसका नाम ''यंग लीडर्स थिंक टैंक'' या वाईएलटीटी रखा गया। वाईएलटीटी का मुख्य कार्य भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श शुरू करना, और उनपर नए दृष्टिकोण से रणनीति बनाकर एफईएस के ज़रिए तथा एफईएस की प्रक्रियाओं के साथ उन मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को उत्साहित करना है। साल 2010 में वाईएलटीटी ने शासन प्रणाली और विकास की प्रक्रिया में युवा लोगों की भूमिका को फिर से परिभाषित करने और उनकी दृश्यता को बढ़ाने के लिए चर्चा शुरू की जिसका विषय ''क्या भारत को एक युवा एजेंडा' की जरूरत है'' था। युवा एजेंडे के प्रक्रिया की शुरुआत के उद्देश्य के साथ, 28–30 मई 2010 के दौरान एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें वाईएलटीटी सदस्यों के अलावा, युवाओं के साथ कार्य का विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों ने भी भाग लिया। सभी प्रतिभागी इस बात पर सहमत हुए कि एक युवा एजेंडे की आवश्यकता है, और यह भी महत्वपूर्ण है कि यह एजेंडा न केवल युवाओं के लिए, बल्कि युवाओं द्वारा बनाया जाए। कार्यशाला के दौरान यह तय किया गया कि प्रस्तावित युवा एजेंडे की सम्भाव्य संरचना में निम्नलिखित आयामों को शामिल करना ज़रूरी है:

1. विशेष रूप से युवा हिस्सेदारों का एक समूह का निर्माण हो। इसके लिए ऐसे कई संस्थानों को नामित किया गया जो युवा मुद्दों पर कार्य करते हैं। एक रणनीतिक युवा एजेंडा के लिए अधिकतम संभव हितधारकों की आवश्यकता होनी थी।

2. मीडिया, जो एक सामाजिक एजेंट तथा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई युवा पेशेवर खुद कार्यरत हैं, इस युवा एजेंडा के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी होगा।

3. युवा नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए। उन्हें भिन्न राजनीतिक भागीदारी के बारे में सूचित करना चाहिए। मौजूदा ढांचे में भी प्रवेश करने के लिए युवा लोगों को सक्षम बनाना चाहिए, और इसके लिए उन्हें राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा होना चाहिए।

4. युवा लोगों को खुद वाईएलटीटी की तरह दबाव या लॉबी समुदाय बनाना चाहिए।

5. नागरिक समाज के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए और मौजूदा राजनीतिक निर्णय निर्माताओं को उन्हें कार्रवाई में लाना चाहिए।

6. भारतीय समाज के तमाम सामाजिक और क्षेत्रीय तबके को इस एजेंडा तथा इसके उद्देश्यों को तैयार करने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

7. राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी की जागरूकता के लिए औपचारिक शिक्षा के अलावा अन्य शैक्षिक माध्यमों को बढ़ावा देना चाहिए।

8. विकास के विभिन्न उठाए गए मामले जैसे कि क्षेत्रीय प्रवास, स्वास्थ्य, सुशासन और चिरस्थायी विकास।

इन मुद्दों को एक एजेंडा निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। वाईएलटीटी की भूमिका एफईएस के साथ परामर्श कर एक अवधारणा विकसित करना था कि कैसे और किसके साथ युवा एजेंडा का मसौदा तैयार किया जाए, किन मुद्दों को शामिल किया जाए।

वाईएलटीटी के सदस्यों ने फैसला किया कि प्रत्येक सदस्य अपने स्वयं के भौगोलिक क्षेत्र में विविध युवा मुद्दों का पता लगाएगा (वाईएलटीटी के सदस्यों की सूची के लिए परिशिष्ट L देखें)। वाईएलटीटी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से और विविध शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आए सदस्यों का एक प्रतिनिधि है। कार्य योजना के तहत, भारत के हर क्षेत्र से युवाओं की आवाज को दर्ज करने का फैसला किया गया।

परिशिष्ट B

पहला चरण: मुद्दा अभिनिर्धारण

हितधारकों से भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के प्रमुख मुद्दों पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए, प्रत्येक वाईएलटीटी सदस्य ने कई तरह के तरीकों का उपयोग किया जैसे कि सर्वेक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी पैनल चर्चा, वीडियो और लघु फिल्में तथा व्यक्तिगत/औपचारिक साक्षात्कार। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की एक झलकी नीचे चित्र में दी गई है:

आंकड़े : विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त विचार (प्रतिशत में)

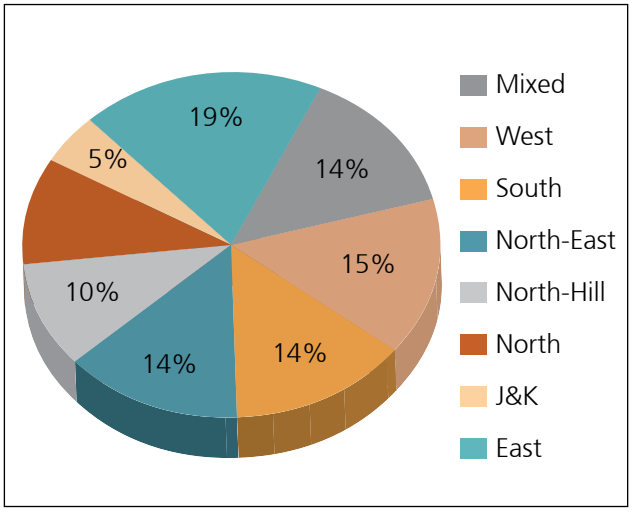

इस प्रक्रिया के दौरान निर्धारित कुछ मुद्दों में शामिल हैं:

- युवा के स्वयं के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता का अभाव
- शिकायतों और अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए उचित मंच की कमी
- लचीली शिक्षा प्रणाली के अवसर
- देश के राजनीतिक माहौल के बारे में शर्मनाक दृष्टिकोण
- रोज़गार के अवसर
- कम विकसित और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन
- शिक्षा और रोज़गार के अवसरों के मामले में लिंग पूर्वाग्रह
- भ्रष्टाचार
- उद्यमियों के लिए सरकारी एजेंसियों से वित्तीय सहायता की कमी
- सरकारी नौकरियों पर निर्भरता
- रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम
- पर्यावरण और प्रदूषण

परिशिष्ट C

दूसरा चरण: मुद्दा सूचीकरण

पहले चरण से निकले नतीजों को समझने और उन पर चर्चा करने के लिए 2011 में एक और कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें वाईएलटीटी के सदस्यों ने औपचारिक तौर पर चर्चा शुरू की। हमने मुद्दों को पहचानने की पहल प्रॉब्लम ट्री अनैलिसिस (Problem Tree Analysis) के द्वारा की। ''भारत अपनी युवा आबादी से कैसे जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त कर सकता है,'' इस मुख्य विषय के साथ हमने युवा एजेंडा का कार्य शुरू कर दिया। जनसांख्यिकीय लाभांश का आकलन करने के लिए हमने सम ऑफ द पार्टस (Sum of the Parts) की दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रकार हमने समस्याओं को युवाओं के नजरिए से देखा।

ग्रामीण/शहरी, साक्षर/अनपढ़ आदि जैसे विभिन्नि समूहों के साथ बातचीत और वाईएलटीटी सदस्यों के देश के विभिन्नि भागों के युवाओं के साथ के अनुभवों के आधार पर, हमने देश भर के युवाओं से संबंधित 60 मुद्दों की एक सूची तैयार की। फिर हमने उन मुद्दों को वर्ल्ड बैंक (2006) द्वारा तैयार रूपरेखा के अनुसार निम्न विषयों में वर्गीकृत किया – सीखना, कार्य करना, स्वास्थ्य, परिवार शुरू करना, नागरिकता, पलायन, वैश्विक संचार, सुविधाएँ। यह सूची नीचे दिए गए टेबल में हैं:

अवस्थांतर	भारत में युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे	श्रेणी क्रम
शिक्षा	लिंग के आधार पर स्कूल में नामांकन का स्तर	
	प्राथमिक, माध्यमिक, और माध्यमिक के बाद की शिक्षा की पूर्णता	
	प्राथमिक और माध्यमिक में गुणात्मक शिक्षा की उपलब्धि	
	माध्यमिक के बाद शिक्षा के लिए तत्परता	
	स्कूल ड्राप आउट का उच्च अनुपात	
	यूनिवर्सल शिक्षा प्रणाली या शिक्षा का अधिकार	
	बेसिक विज्ञान कोर्सेस बनाम नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रम	
काम की दुनिया में	सबसे उपयुक्त पाठ्यक्रम चुनने के लिए मार्गदर्शन	
	बाल श्रम (श्रम बाजार में समयपूर्व प्रवेश)	
	श्रम शक्ति की भागीदारी	
	ग्रामीण और शहरी युवाओं की बेरोज़गारी	
	शिक्षा, रोज़गार या प्रशिक्षण के क्षेत्र में गैर शामिल युवा	
	रोज़गार के लिए कुशलता	
	कैरियर विकल्प और विकास के लिए सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली	
	सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार	
	अकुशल क्षेत्रों में रोज़गार	
	खेती में रोज़गार	
	निजी क्षेत्र में रोज़गार	
	नये क्षेत्रों में रोज़गार – (कला, संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्रों में स्वतंत्र काम)	

स्वास्थ्य	तंबाकू उपयोग	
	पोषण स्तर	
	नशीली दवाओं के दुरूपयोग	
	असुरक्षित यौन संबंध में लगे हुए युवा	
	एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता का प्रसार	
	एचआईवी की रोकथाम	
	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य	
	मधुमेह जैसी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां	
	प्रजनन दर	
	किशोरावस्था में माता–पिता बनना	
	युवा महिलाओं द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधाओं का उपयोग	
	परवरिश पर मार्गदर्शन	
	परिवार नियोजन	
	तंबाकू उपयोग	
	महिलाओं और बच्चों में पोषण स्तर	
	नशीली दवाओं के दुरूपयोग	
नागरिकता	वे युवा जो राजनीतिक रूप से जागरूक हों	
	Millennium Development Goals (एमडीजी) के बारे में जागरूकता और उपलब्धि	
	अंतर–सामुदायिक (धार्मिक) संबंधों को बनाए रखना	
	अंतर–सामुदायिक (जाति) संबंधों को बनाए रखना	
	संगठित अपराध की समस्याएं	
	धारा 370	
	समान नागरिक संहिता	
	उच्च पदों पर भ्रष्टाचार	
	मानवाधिकार	
	सतत् विकास	
	राजनीतिक प्रतिनिधित्व	
	न्यायिक प्रणाली में सुधार	
	युवा पीढ़ी को सुविचारित सत्ता हस्तान्तरण	
	महिला और अल्पसंख्यकों की नेतृत्व में भूमिका	
	राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका	
	ई–प्रशासन	
	मतदान का अधिकार और कर्तव्य	
	सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा	
	जन सेवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका	
	राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत गोपनीयता	
	विकलांगों के अधिकार	
	LGBT (यौन अल्पसंख्यकों के अधिकार)	

पलायन	अपने जन्म स्थान से बाहर पढ़ाई या काम कर रहे युवा	
	रोज़गार के लिए अंतर्राज्यीय प्रवासन	
	डिजिटल डिवाइड	
	हिन्दी बनाम गैर अंग्रेजी भाषी अनुभाग	
वैश्विक स्तर पर संचार	नेटवर्किंग और ज्ञान साझा के लिए इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी	
	अरब विद्रोह जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र समर्थक घटना	
ICT (Information, Communication and Technology)	कंप्यूटर और इंटरनेट	
	मोबाइल फोन और उन्नत अनुप्रयोग	
	सिनेमा, टीवी और रेडियो का आधुनिक चेहरा	
सुविधाएँ	सड़क, बिजली और पानी	
	आवास	
	खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं	

परिशिष्ट D

तीसरा चरण: गहन विश्लेषण हेतु मुद्दा न्यूनीकरण

विशेषज्ञों से साक्षात्कार के अगले चरण से पहले, सदस्यों ने अब तक की प्रक्रिया के परिणामों पर चर्चा की और मुद्दों की संक्षिप्त सूची तैयार की ताकि सदस्यों और विशेषज्ञों को आसानी हो। 18 उपस्थित वाईएलटीटी सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य ने प्रत्येक मुद्दे को 1 से 10 की रेटिंग दी (यहां 10 का मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है)। रेटिंग के औसत से हमें मुद्दों की महत्ता का अनुमान लगा। इस प्रकार मुद्दों की अंतिम सूची तैयार करने के लिए, मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया गया। अंतिम सूची में 5 से कम रेटिंग वाले सभी मुद्दों को हटा दिया गया; एक तरह अर्थ के मुद्दों को साथ किया गया और यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक प्रमुख विषयों को प्रतिनिधित्व मिले। इस तरह से अंतिम सूची में 32 मुद्दों को शामिल किया गया (नीचे दी गई तालिका देखें)।

	युवा एजेंडा के मुद्दे
1	लिंग के आधार पर स्कूल में नामांकन का स्तर
2	धारा 370 और समान नागरिक संहिता
3	बेसिक विज्ञान कोर्सेस बनाम नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रम
4	उच्च पदों पर भ्रष्टाचार
5	नशीली दवाओं के दुरुपयोग
6	खेती में रोज़गार
7	निजी क्षेत्र में रोज़गार
8	अंग्रेजी बनाम गैर अंग्रेजी भाषी अनुभाग
9	स्कूल ड्राप आउट का उच्च अनुपात
10	बाल श्रम (श्रम बाजार में समयपूर्व प्रवेश)
11	आधारभूत ढांचा (सड़क, बिजली और पानी, आवास, खेल सुविधा)
12	नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने के लिए इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी (वेब, मोबाइल फोन, आदि)
13	शिक्षा के लिए अंतर्राज्यीय पलायन
14	रोज़गार के लिए अंतर्राज्यीय पलायन
15	न्यायिक प्रणाली में सुधार
16	अंतर – सामुदायिक (जाति) संबंधों को बनाए रखना
17	अंतर – सामुदायिक (धार्मिक) संबंधों को बनाए रखना
18	अरब विद्रोह जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र समर्थक घटना
19	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
20	राष्ट्र निर्माण में मीडिया (प्रिंट और दृश्य – श्रव्य सहित) की भूमिका
21	शिक्षा, रोज़गार या प्रशिक्षण के क्षेत्र में गैर शामिल युवा

22	राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी
23	जनसंख्या वृद्धि
24	एचआईवी की व्यापकता और निवारण
25	प्राथमिक, माध्यमिक, और माध्यमिक के बाद की शिक्षा की पूर्णता
26	संगठित अपराध की समस्याएं
27	सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा
28	तंबाकू और शराब के उपयोग
29	ग्रामीण और शहरी युवाओं की बेरोज़गारी
30	यूनिवर्सल शिक्षा प्रणाली या शिक्षा का अधिकार
31	महिलाओं और अल्पसंख्यकों की नेतृत्व में भूमिका
32	राजनीतिक रूप से जागरूक युवा

परिशिष्ट E

चौथा चरण: विस्तृत विश्लेषण

हमने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से जानकारी एकत्र की। कुछ ने डेटा शीट भरा तो कुछ ने गुणात्मक जानकारी देना उचित समझा। कई युवा शिविरों और सेमिनारों में भाग लेने के दौरान हमने देश भर में सामाजिक रूप से सक्रिय विभिन्न युवा नेताओं से भी बात की और जानकारी भी इकट्ठा की।

डेटा का विश्लेषण करते वक्त इन बातों का ख़ास ध्यान रखा गया – कौन से मुद्दे से कितने युवा प्रभावित हैं, मुद्दों की गंभीरता कितनी है, विशेषज्ञों का किसी मुद्दे पर आत्मविश्वास का क्या स्तर है, और इस मुद्दे का क्या भविष्य दिखाई देता है। विशेषज्ञों की पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए हमने पूरी जानकारी से पक्षपात को हटाने की सर्वोत्तम प्रयास किए। लेकिन ये पूरी तरह से संभव नहीं था क्योंकि अधिकतम गुणात्मक जानकारी अनौपचारिक चर्चाओं से हासिल की गई थी। हमने अपने विशेषज्ञों से वर्तमान स्थिति के अनुरूप जानकारी प्रदान करने को कहा, न कि उनके विश्वास के आधार पर, और जहां तक भी संभव था हमने इस अंतर को बनाने में विशेषज्ञों की मदद की।

दूसरे दौर के आंकड़ों के विश्लेषण से कुछ जरूरी अंतर्दृष्टि मिली। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नीचे दिया गया विश्लेषण विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है और यह थिंक टैंक के रूप में हमारी धारणा को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

विश्लेषण से निकले प्रमुख बिंदुओं का सार नीचे है:

a) विशेषज्ञों के मुताबिक, मुद्दों की जनसांख्यिकीय विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न युवा समूहों के विभिन्न मुद्दे हैं। हालांकि, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि युवाओं से जुड़े हुए राष्ट्रीय मुद्दे मौजूद हैं।

b) भारत के उत्तर–पूर्वी भाग, जम्मू–कश्मीर और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के कुछ विशिष्ट लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

c) अलग–अलग समूहों (जैसे ग्रामीण क्षेत्रों, महानगरों के युवा) के भी समान राष्ट्रीय मुद्दे हैं।

d) कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं जैसे पहाड़ी युवा, पलायन कर गए युवा तथा बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों के युवा।

e) युवा महिलाओं के भी समान मुद्दे हो सकते हैं लेकिन उन पर विशिष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि युवा मुद्दों के लिए किए गए कई उपाय युवा महिलाओं के मामले में काम नहीं करते। इसलिए इस पूरे एजेंडे के विभिन्न मुद्दों के लिए महिलाओं के संदर्भ में एक विशिष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए।

f) एक और विशेष खंड जो हमारे विश्लेषण के दौरान उभर कर आया वो हैं, बिना अधिकार के युवा जिनकी कोई पात्रता नही है। ये या तो अत्यंत गरीब हैं या किसी जगह से पलायन कर गए हैं। इस क्षेत्र के युवाओं की समस्याओं को बहुत ही अलग दृष्टिकोण से संबोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय उनके अधिकार का दावा है जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है।

लगभग सभी लक्षित समूहों के मुद्दे

क्र.सं	मुद्दा	विशिष्ट बिंदू	भावी परिदृश्य
1	शराब और तंबाकू उपयोग	अत्यंत कम उम्र के बच्चों में भी	अत्यंत नाजुक
2	उचित शिक्षा	शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्यक्रम का औचित्य	अगले पांच से दस साल में उल्लेखनीय सुधार संभव
3	पलायन	शहरी और ग्रामीण – दोनों रोज़गार के अवसरों द्वारा चालित है	स्थिति और खराब होगी यानी अधिक पलायन होगा
4	रोज़गार के अवसर	अर्ध– शहरी / ग्रामीण भारत के लिए विशेष रूप से गैर कृषि आधारित है	स्थिति और खराब होगी यानी रोज़गार के अवसरों में कमी होगी
5	ड्रॉप आउट के उच्च स्तर	पोस्ट स्कूल ड्राप आउट का अनुपात अधिक है (विशेष रूप से 10 +2)	कोई स्पष्टता नही है; हालांकि साक्ष्य सुधार का इशारा करते हैं। इसका मतलब भारत की युवा आबादी का श्रम बाज़ार में विलंबित प्रवेश भी है
6	रोज़गार के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं	शैक्षिक और व्यावसायिक	स्थिति समान बनी रहेगी, लेकिन निजीकरण से कुछ सुधार हो सकता है
7	राजनीतिक भागीदारी की निम्न स्तर	मतदाता और प्रतिनिधि दोनों के रूप में	प्रतिनिधित्व में विशेष सुधार होगा

बड़े लक्ष्य समूहों के विषय

क्र.सं	मुद्दा	विशिष्ट बिंदू	भावी परिदृश्य
1	नशीली दवाओं के उपयोग	उत्तर पूर्व जैसे अशांत क्षेत्रों में गंभीर	समाज में उत्पादक योगदान की दृष्टि से अत्यंत गंभीर
2	अन्तर–प्रदेशीय प्रवास	शिक्षा और स्वास्थ्य से प्रेरित	MGNREGA जैसे कार्यक्रमों के कारण से इसमें कमी आएगी
3	स्थानीय रोज़गार	विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में	स्थिति और खराब हो जाएगी क्योंकि विकास पर ध्यान विशेष रूप से बड़े शहरों में दिया जाता है
4	प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न तनाव	विशेष रूप से 10 +2 की शिक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए	अत्यंत महत्वपूर्ण, विशेष रूप से युवा जनसंख्या के लिए
5	राज्य के भीतर ग्रामीण से शहरी प्रवासन	विकसित राज्यों के लिए ज़्यादा है	लंबे समय में स्थिति और खराब हो जाएगी खासतौर से कुशल व्यक्तियों के लिए
6	श्रम बाजार से अनुपस्थिति		कोई स्पष्टता नहीं है
7	बेहतर आधारभूत संरचना (Infrastructure) की आवश्यकता	विशेष रूप से शक्ति और संचार के क्षेत्र में	सुधार होगा। आवश्यकता और प्रावधान में वृद्धि भी होगी लेकिन अगले 5 वर्षों में संसाधन में गिरावट होगी
8	जीवन में तनाव	सिर्फ महानगरों में ही नही	स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि युवा अन्उत्पादक हो जाएंगे
9	प्रौद्योगिकी तक पहुँच		सुधार होगा
10	औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव	असंगठित क्षेत्र में व्यवसाय के लिए	कोई स्पष्टता नहीं है

विशेष लक्षित समूहों के मुद्दे

क्र.सं	मुद्दा	विशिष्ट बिंदु	भावी परिदृश्य
1	दहेज प्रथा	राज्य और समुदाय	सुधार होगा
2	बेटा जन्म देने के लिए दबाव	उत्तर भारत के बड़े हिस्से में	समान रहेगा
3	घरेलू हिंसा	तुलनात्मक रूप से विकसित दक्षिणी राज्यों में भी	दशा और खराब होगी
4	जल्दी शादी	खासकर ग्रामीण इलाकों में	मुद्दा समाप्त हो जाएगा
5	घरेलू कामगारों के रूप में युवा महिलाओं का प्रवासन	विशेष रूप से पूर्वी भारत से	कमी आएगी
6	उच्च आय के अवसरों की कमी के कारण प्रवासन	उत्तर पूर्व, केरल	दशा और खराब होगी
7	खेल को बढ़ावा देने में कमी	खासकर उत्तर पूर्व में	दशा और खराब होगी
8	चुने गए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता	विशेष रूप से पूर्वी भाग	दशा और खराब होगी
9	बहुत अविकसित बुनियादी ढांचे	कनेक्टिविटी और विद्युत् विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में	सुधार होगा
10	सामुदायिक संबंधों में पतन की भावना	ज़्यादातर अंतर धर्म में	दशा और खराब होगी
11	खराब अंग्रेजी	निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए एक बाधा है	कोई परिवर्तन नही आएगा
12	अवसरों में अंतर	आय में असमानता द्वारा संचालित	बेहद नाजुक

युवा महिलाएं

क्र.सं	मुद्दा	विशिष्ट बिंदू	भावी परिदृश्य
1	स्थानीय रोज़गार के अवसर	स्वरोज़गार	कोई परिवर्तन नही आएगा
2	कौशल पर आधारित प्रशिक्षण	जिसमें उच्च शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है	समान रहेगा भले ही कुछ इलाकों में, इसे एन एस डी सी जैसी पहल से सुधार सकते हैं
3	रोज़गार के अवसर	जो युवा विवाहित महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कराने में कारक है	दशा और खराब हो जाएगी
4	घरेलू हिंसा	तुलनात्मक रूप से विकसित दक्षिणी राज्यों में भी प्रमुख समस्या है	और खराब हो जाएगी
5	विशिष्ट प्रशिक्षण की सुविधाएं	महिलाओं के अनुकूल उत्पादक काम में भाग लेने के लिए	कोई स्पष्टता नहीं है
6	स्वास्थ्य की समस्याएं	इससे महिलाओं की उत्पादकता घटी है	सुधार होगा
7	शादी की वजह से प्रवासन	कुछ दक्षिणी राज्यों को छोड़कर देश भर में प्रचलित है	समान रहेगा
8	अधिकांश युवा महिलाओं के लिए कम मजदूरी	बुनियादी, अकुशल कार्य के साथ	समान रहेगा
9	गर्भ निरोधकों और जन्म के साधनों का प्रयोग	श्रम बल में महिलाओं की अनियमित भागीदारी के लिए जिम्मेदार है	समान रहेगा
10	काम के स्थानों पर और रोज़गार के अवसरों में भेदभाव	हर क्षेत्र और प्रोफाइल की महिलाओं में	समान रहेगा

इन प्रमुख मुद्दों के अलावा, हमने समझने की कोशिश की कि आगे जाकर ये मुद्दे कैसे रूप लेंगे। इन मुद्दों की स्पष्ट रूप से तीन श्रेणियां हैः पहला, जो अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा; दूसरा, जो समय के साथ कम होगा, और तीसरा, जिसमें कोई परिवर्तन नही आएगा।

परिशिष्ट F

क्षेत्रीय आंकड़ा एकत्रण हेतु प्रस्तावित प्रश्नावली

स्वयं के बारे में:

- नाम (वैकल्पिक):
- आयु:
- लिंग:
- शैक्षिक योग्यता:
- व्यवसाय:
- स्थान: नगर/ग्राम, तहसील, जिला, राज्य
- जाति: सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
- धर्म: हिंदु/मुस्लिम/ईसाई/बौद्ध/सिख/जैन
- आर्थिक स्थिति: ऊपरी/ऊपरी मध्यम/निम्नमध्यम/निचली

मुद्दे:

1. आपके गांव या समुदाय के कौन से सामाजिक मुद्दे को आप युवाओं के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं:
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 5 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 10 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 15 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
2. युवाओं के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा जो आपको मतदान क्षेत्र के संदर्भ में विशेष रूप से परेशान करता है:
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 5 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 10 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 15 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
3. आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विचार जिससे आपको अपने जीवन को जिस तरह से आप चाहते हैं चलाने में मदद मिलेगी:
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 5 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 10 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 15 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
4. अपने व्यक्तिगत परिदृश्य की दृष्टि से प्रौद्योगिकी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है:
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 5 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 10 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 15 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
5. अपने स्थानीय परिदृश्य और युवा के संदर्भ में मीडिया/संचार के मुद्दे पर आपकी प्रमुख चिंता का विषय:
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 5 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 10 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 15 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
6. आपके लिए सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्था का कितना महत्व है और आपके समाज का सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक पहलू क्या है:
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 5 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 10 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 15 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
7. आपके समाज में शिक्षा की क्या स्थिति है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है:
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 5 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 10 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 15 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
8. युवाओं के संदर्भ में आप अपने क्षेत्र में कौन सी तीन सबसे वांछनीय चीजें चाहते हैं:
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 5 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 10 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
   - इस संबंध में आप अभी से अगले 15 सालों में क्या परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं?
9. कोई अन्य मुद्दा जो आपके समुदाय के लिए युवा एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए?

परिशिष्ट G

वाईएलटीटी युवा एजेंडा सर्वेक्षण हेतु बुनियादी दिशा निर्देश

कृपया इन विशिष्ट मुद्दों पर अपने व्यक्तिगत विचार और अनुभवों के अनुसार ही टिप्पणी करें। यहाँ देश का मतलब वह क्षेत्र है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं; युवा का मतलब वह युवा है जिसे आप समझते हैं। कृपया अपनी टिप्पणी को विशिष्ट रहने दें और गरीबी, भ्रष्टाचार, आदि जैसे सामान्य टिप्पणी से बचें। इन विषयों पर टिप्पणी करने के लिए आपका सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। आप वही कहें जो आप जानते हैं।

एक व्यक्ति के रूप में आपकी चिंता का प्रमुख विषय क्या है	1. 2.
एक युवा के रूप में आपकी चिंता का प्रमुख विषय क्या है	1. 2.
अपनी चिंताओं के लिए आप क्या योगदान कर रहे हैं	1. 2.
आपको क्या लगता है एक युवा आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए क्या कर सकता है	1. 2.
भारत के लिए युवा एजेंडा में कौन से मुद्दे शामिल किए जाने चाहिए	1. 2. 3.

निजी प्रोफाइल

- नाम
- उम्र
- लिंग
- शिक्षा
- अधिवास राज्य
- धर्म (अनिवार्य नहीं)
- जाति (अनिवार्य नहीं)
- व्यवसाय

परिशिष्ट H

क्षेत्रस्तरीय विमर्श की एक झलक

समूह 1	
स्थान:	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर, चंबा, हिमाचल प्रदेश
अवसर:	वार्षिक एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) शिविर; नमूना परिमाण और विशेषताएँ: जिला के विभिन्न भागों से 70 स्वयंसेवक (40 कॉलेज के छात्र, 30 उच्च माध्यमिक छात्र, 25 लड़कियाँ और 45 लड़के; आयु सीमा 16 से 22 साल; मुख्य रुप से हिंदू; सभी जाति समूह; निम्न मध्यम और नीचली सामाजिक–आर्थिक वर्ग से)
विधि:	एनएसएस कार्यक्रम के अधिकारी द्वारा समूह चर्चा; चर्चा के मुद्दे: निम्नलिखित क्षेत्रों में आज, 5 साल, 10 साल और 15 साल के बाद के युवा मुद्दे: समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मीडिया, और संस्कृति
परिणाम:	हालांकि वे उनके क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे लेकिन चर्चा का झुकाव राष्ट्रीय मुद्दों जैसे कि जाति, भ्रष्टाचार, संसाधनों के असमान वितरण, और गैर जिम्मेदार मीडिया की ओर हो गया। लेकिन जब सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की बात आई तो उन्होनें उनके पहाड़ी क्षेत्र के संदर्भ में सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और पारंपरिक मूल्यों और जीवन के तरीकों को पुनर्जीवित करने के लिए चिंता दिखाई।
समूह 2	
स्थान:	दिल्ली पब्लिक स्कूल, कांडला पोर्ट, भुज, गांधीधाम (गुजरात)
नमूना परिमाण और विशेषताएँ:	19 (10 लड़कियां, 5 लड़के, 4 अनिर्दिष्ट, आयु सीमा 15 से 18 में कक्षा 10, 11 और 12 के छात्र, उच्च मध्यम और उच्च सामाजिक–आर्थिक वर्ग से)
विधि:	प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण की विधि
परिणाम:	पिछले समूह की तरह इस समूह की भी राजनीतिक, आर्थिक और मीडिया पर समान टिप्पणियाँ थी लेकिन उन्होनें कुछ स्थानीय मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। इस क्षेत्र में युवा लोगों को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों की एक सूची नीचे दी गई है: 1. परिवहन: बेहतर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे 2. व्यापार को अधिक और शैक्षिक रूझान को कम प्राथमिकता; पैसे पर अधिक और सीखने पर कम ध्यान 3. उच्च शिक्षा के कम अवसर के कारण हो रहा ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन 4. मीडिया को युवा मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, छोटे और दूरदराज के स्थानों से भी रिपोर्टिंग करना चाहिए। टीआरपी पर कम ध्यान और सकारात्मक ख़बरों को अधिक स्थान दिया जाना चाहिए। 5. इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के कोई अवसर नहीं है। 6. कुछ उत्तरदाताओं के लिए सांस्कृतिक परंपरा समृद्धि के दिखावे और मनोरंजन का स्रोत मात्र है। कुछ को लगता है कि लोग संस्कृति को भूल जाएंगे जबकि दूसरों को लगता है कि युवाओं को पारंपरिक नृत्य और संगीत में रुचि दिखाना चाहिए। 7. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पैसा 8. प्रौद्योगिकी पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, दिमाग का कम उपयोग; भविष्य में युवा एक रोबोट की तरह हो जाएगा जो अपने मस्तिष्क का उपयोग कर निर्णय लेने में असमर्थ होगा। 9. धूम्रपान, शराब पीना, आलस्य जैसी बुरी आदतें 10. स्वयं में कम विश्वास 11. अधिक सफाई और स्वच्छता 12. कमजोर स्वास्थ्य चेतना 13. वित्तीय स्वतंत्रता 14. बेहतर शिक्षक की आवश्यकता 15. व्यक्तित्व के विकास के लिए स्कूल में ज़्यादा अवसर 16. क्षेत्र में औद्योगिक विकास 17. प्रदूषण 18. संकीर्ण मानसिकता 19. शिक्षा का निम्न स्तर 20. पुरुष बच्चे के लिए प्राथमिकता

परिशिष्ट I

चौथे चरण के मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण प्रारूप

मुद्दा:– .....

	जनसांख्यिकीय खंड	महत्व का स्तर	आत्मविश्वास का स्तर	महत्व में अगले 5 वर्षों में बदलाव
		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	50 75 90 100	बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, अप्रसांगिक हो जाएगा
जन्मभूमि	शहरी			
	अर्ध शहरी			
	ग्रामीण			
भौगोलिक क्षेत्र	उत्तर			
	दक्षिण			
	पूर्व			
	पश्चिम			
	उत्तरी पूर्व			
धर्म	हिन्दू			
	मुसलमान			
	सिख			
	ईसाई			
	अन्य			
साक्षरता	अनपढ़			
	स्कूल शिक्षित			
	कॉलेज शिक्षित			
जाति	सामान्य जाति			
	अन्य पिछड़ा वर्ग			
	अनुसूचित जाति			
	अनुसूचित जन जाति			
लिंग	पुरुष			
	महिला			
रोज़गार	बेरोज़गार			
	स्व रोज़गार में रत			
	सरकारी रोज़गार			
	निजी रोज़गार			
	अकुशल रोज़गार			
	कुशल रोज़गार			
उपद्रवग्रस्त क्षेत्र	उग्रवाद / अलगाववाद ग्रस्त			
	नक्सली / माओवादी			

भौगोलिक क्षेत्र	पहाड़ी			
	मैदान			
	तटीय			
	रेगिस्तानी			
समग्र रूप में युवा				

मौजूदा स्थिति और प्रावधान

	युवाओं की भागीदारी	युवाओं की भागीदारी के लिए प्रयास	युवाओं की पूर्ण सहभागिता को इन मौजूदा माध्यमों से बढ़ावा देना			साझेदारी के लिए मौजूदा व्यवस्था	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	नीतियाँ	प्रक्रियाएं	संरचनाएं	समाधान तलाशने की प्रक्रिया के लिए	समाधान को कार्यान्वित करने के लिए
स्थानीय / समुदाय स्तर पर							
राज्य / क्षेत्रीय स्तर पर							
राष्ट्रीय स्तर पर							

सुझाव/सिफारिश

	युवाओं की पूर्ण सहभागिता के लिए प्रस्तावित			युवाओं की साझेदारी के लिए प्रस्तावित व्यवस्था	
	नीतियाँ	प्रक्रियाएं	संरचनाएं	समाधान तलाशने की प्रक्रिया के लिए	समाधान को कार्यान्वित करने के लिए
स्थानीय / समुदाय स्तर पर					
राज्य / क्षेत्रीय स्तर पर					
राष्ट्रीय स्तर पर					

_____ मुद्दे पर आपकी अपनी भागीदारी का क्या स्तर रहा है

सामान्य जागरूकता	नागरिक समाज के चर्चा में भागीदारी	सरकारी चर्चा में भागीदारी	युवाओं के साथ क्षेत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी

_____ मुद्दे पर आपकी भागीदारी कितने समय से रही है

पिछले छह महीने से	छह महीने से 2 साल से	2 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम से	5 वर्षों से अधिक समय से

इस मुद्दे पर क्या आप अपने खुद के अनुभवों को साझा करेंगे _____?

कोई अन्य टिप्पणी _____

विशेषज्ञ

वाइ.एल.टी.टी

परिशिष्ट J

चौथे चरण सर्वेक्षण परिणाम का नमूना: स्कूल ड्रॉपआउट का उच्च दर

	जनसांख्यिकीय खंड	महत्व का स्तर	आत्मविश्वास का स्तर	महत्व में अगले 5 वर्षों में बदलाव
		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	50 75 90 100	बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, अप्रसांगिक हो जाएगा
जन्मभूमि	शहरी	3	75	घटेगा
	अर्ध शहरी	6	90	घटेगा
	ग्रामीण	8	90	स्थायी रहेगा
भौगोलिक क्षेत्र	उत्तर	4	75	स्थायी रहेगा
	दक्षिण	2	90	घटेगा
	पूर्व	5	90	स्थायी रहेगा
	पश्चिम	5	75	स्थायी रहेगा
	उत्तरी पूर्व	4	75	घटेगा
धर्म	हिन्दू	4	90	घटेगा
	मुसलमान	4	90	स्थायी रहेगा
	सिख	8	90	स्थायी रहेगा
	ईसाई	6	90	घटेगा
	अन्य	3	75	स्थायी रहेगा
साक्षरता	अनपढ़	3	90	घटेगा
	स्कूल शिक्षित	8	90	घटेगा
	कॉलेज शिक्षित	8	90	घटेगा
जाति	सामान्य जाति	4	90	घटेगा
	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	90	घटेगा
	अनुसूचित जाति	8	90	स्थायी रहेगा
	अनुसूचित जन जाति	9	90	स्थायी रहेगा
लिंग	पुरुष	4	90	घटेगा
	महिला	8	90	घटेगा
रोज़गार	बेरोज़गार	8	90	स्थायी रहेगा
	स्व कार्यरत	5	75	स्थायी रहेगा
	सरकारी रोज़गार	5	75	घटेगा
	निजी रोज़गार	6	75	घटेगा
	अकुशल रोज़गार	8	90	स्थायी रहेगा
	कुशल रोज़गार	2	90	घटेगा
उपद्रवग्रस्त क्षेत्र	उग्रवाद/अलगाववाद ग्रस्त	8	90	स्थायी रहेगा
	नक्सली/माओवादी	8	90	स्थायी रहेगा
भौगोलिक क्षेत्र	पहाड़ी	6	75	स्थायी रहेगा
	मैदान	6	90	स्थायी रहेगा
	तटीय	5	90	घटेगा
	रेगिस्तानी	6	75	स्थायी रहेगा
समग्र रूप में युवा			90	घटेगा

मौजूदा स्थिति और प्रावधान

	युवाओं की भागीदारी	युवाओं की भागीदारी के लिए प्रयास	युवाओं की पूर्ण सहभागिता को इन मौजूदा माध्यमों से बढ़ावा देना			साझेदारी के लिए मौजूदा व्यवस्था	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	नीतियाँ	प्रक्रियाएं	संरचनाएं	समाधान तलाशने की प्रक्रिया के लिए	समाधान को कार्यान्वित करने के लिए
स्थानीय/ समुदाय स्तर पर	2	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर	2	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
राष्ट्रीय स्तर पर	3	3	पता नहीं	पता नहीं	पता नहीं	जागरूकता, परामर्श, रियायती शिक्षा	विकेंद्रीकृत केन्द्रीय एजेंसी को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित किया जाएगा

सुझाव/सिफारिश सलाह/सुधार

	युवाओं की पूर्ण सहभागिता के लिए प्रस्तावित			युवाओं की साझेदारी के लिए प्रस्तावित व्यवस्था	
	नीतियाँ	प्रक्रियाएं	संरचनाएं	समाधान तलाशने की प्रक्रिया के लिए	समाधान को कार्यान्वित करने के लिए
स्थानीय/समुदाय स्तर पर	युवाओं के बीच शिक्षा की जागरूकता लाने के लिए नीति	जागरूक युवा समाज और परिवार में जागरूकता लाने में योगदान देता है	चर्चा और समीक्षा के लिए स्थानीय स्तर की समिति	युवा, परिवारों और समुदायों से जुड़े स्थानीय स्तर के कार्यक्रम	जागरूकता, रियायती शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक), सामाजिक सहायता
राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर	लड़के और लड़कियों दोनों की 100 प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने के लिए	रियायती शुल्क पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय स्तर की एजेंसी के साथ एक अलग बोर्ड बनाओ	रियायती शिक्षा और प्रायोजित जागरूकता कार्यक्रम	जिला स्तर पर बोर्ड बनाओ
राष्ट्रीय स्तर पर	लिंग के बावजूद 100 प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने के लिए	लक्ष्य पर आधारित परियोजनाओं को राज्य और नागरिक समाज को दिया जाए	नोडल एजेंसी सरकार और गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करे	लड़कियों के लिए स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करें	सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग होना चाहिए

_____ मुद्दे पर आपकी अपनी भागीदारी का क्या स्तर रहा है

सामान्य जागरूकता	नागरिक समाज के चर्चा में भागीदारी	सरकारी चर्चा में भागीदारी	युवाओं के साथ क्षेत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी

परिशिष्ट K

विशेषज्ञ सूची

S.No.	Name and Organisation	Address	Email/Phone
1.	**Ms. Madhu Bala**	Jagori B-114, Shivalik Malviya Nagar, New Delhi 110017	Email: madhu@jagori.org
2.	**Mr. Aniruddha Bahal** Editor COBRAPOST.COM	E-76, Sector 21, NOIDA, UP	M: 91-9810132128 Email: aniruddha.bahal@gmail.com
3.	**Mr. Kishore Gaur** Coordinator, Social Action For Human Resource Development, (SOHARD)	Natthusar Bass, Behind Hanuman Mandir Bikaner, Rajasthan	M: 91-9950727412 E-mail: kgaur2008@gmail.com
4.	**Ms. Anupriya Ghosh**	Jagori B-114, Shivalik Malviya Nagar, New Delhi 110017	Email: anupriya@jagori.org
5.	**Ms. Durba Ghosh** Commutiny- The Youth Collective	11/8, Nehru Enclave East Kalkajee, New Delhi, 110019	Tel: +91-11- 26447608 M: 91-9810461153 Email: durba.pravah@gmail.com
6.	**Ms. Guddi S.L** National Co - ordinator Yusuf Meherally Yuva Biradari	D/15, Ganesh Prasad, Nausheer Bharucha Marg Grant Road (W), Mumbai - 400 007	Tel: 91- 22 - 23870097 Fax: 91- 22 - 23889738 M: 91- 9869059860 Email: kgaswadesi1947@gmail.com Website - www.yusufmeherally.org
7.	**Mr. J. John** Executive Director Centre for Education and Communication	173A, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi –110017	
8.	**Mr. Sanjeev Kumar Kanchan** Programme Officer Industry and Environment (Green Rating Project)	Centre for Science and Environment 41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi - 110062	Tel: 91-11-2995 5124-25, Extn.-251 Fax: 91-11-2995 5879 M: +91 8800855090 Email: sanjeev@cseindia.org
9.	**Ms. Rekha Koli**	Human Rights Law Network	Email: rekhakoli81@gmail.com
10.	**Mr. Pankaj Kumar**	Human Rights Law Network	
11.	**Dr. Sunilam Mishra** Former Member of Legislative Assembly	7, Jantar Mantar New Delhi	Tel: 91-11-3321833 Email: sunilam_swp@yahoo.com
12.	**Ms. Renuka Motihar**	Pravah C-24B, 2nd FLoor, Kalkaji New Delhi 110019	Tel: 91- 9810233251 Email: renuka.motihar@gmail.com

S.No.	Name and Organisation	Address	Email/Phone
13.	**Mr. Sachin Nachanekar**	VACHA Trust 5, Bhavna Apartments S.V. Road vile Parle (West) Mumbai 400056	
14.	**Ms. Medhavinee Namjoshi**	VACHA Trust 5, Bhavna Apartments S.V. Road vile Parle (West) Mumbai 400056	Tel: 91 - 22-26055523 Mobile: 91- 9833476857 Email: vacha@vsnl.com, medhabhi@gmail.com
15.	**Ms. Meenakishi Natrajan** Hon'ble Member of Parliament Indian National Congress	12, Tughlak Lane, New Delhi- 110 011	Tel. 91-11- 23795600
16.	**Mr. KshetrimayumOnil**		M: 91-8794742009 Email: onilrights@gmail.com
17.	**Dr.V. Reghu** Faculty Head School of Youth Studies &Extn.,	Rajiv Gandhi National Institute for Youth Development University, Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India, Sriperumbudur-602 105. Tamil Nadu	Tel: 91- 44-27163872. M: 91 -9381519486 Fax: 91- 44-27163227 Email: reghuvm@yahoo.com
18.	**Ms. Swati Sahni** Senior Consultant (Right to Education)	SarvaShikshaAbhiyan Ministry of Human Resource Development HD 24, PitamPura New Delhi	Tel: 91-11-22379137/73/91/96. Ext: 107 M: 91-9958764810 Email: swatisahni17@gmail.com
19.	**Ms. Vinu Sampath** Commonwealth Human Rights Institute	B-117, Second Floor, Sarvodaya Enclave New Delhi - 110 017	Tel: 91-11-43180200 M: 91-9899274456 Email: vinusampath@yahoo.com
20.	**Mr. Rashmeeranjan Satpathy**	Keonjhar	M: 91-9937874237 Email: rrsatpathy@gmail.com
21.	**Mr. Kuber Sharma** Coordinator Creative Media and Policy Group Commutiny- The Youth Collective	11/8, Nehru Enclave East Kalkajee, New Delhi, 110019	Tel: 91-11-26447608 Email: kuber.sharma@gmail.com
22.	**Dr. P. Sivakumar** Training Office	Rajiv Gandhi National Institute for Youth Development University, Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India, Sriperumbudur-602 105. Tamil Nadu	M: 91-9444581080 Email: babuskumar@gmail.com
23.	**Mr. R.P. Tyagi** Institute of Economic Growth		M: 91-9811734379 Email: rptyagi@iegindia.org
24	**Mr. Yogesh**	Ex-Sarpanch, Village Giglana, Rajasthan	

परिशिष्ट L

वाईएलटीटी सदस्य सूची

S.No.	Name and Organization	Address	Phone/Email
1.	**Dr. Raja Muzaffar Bhat** Founder/Convener J&K Right to Information Movement, Journalist, Dentist	Address: Gopalpora Wathoora Tehsil Chadoora district Budgam Jammu & Kashmir	Tel: 91-1951-230199 M:91-9419562190 Email: budgam_social@rediffmail.com muzaffar@jkrtimovement.org
2.	**Dr. Mausumi Bhattacharyya** Assistant Professor Centre for Journalism & Mass Communication Visva-Bharati University Santiniketan - 731235 India	Uniworld City, New Town, Heights Tower-II, Flat-1703, Kolkata - 700156	Tel: 91-033-25000315 M: 91-9903177503 Email: mausumibht@gmail.com
3.	**Mr. Shailendra Singh Bisht** Assistant Professor Marketing and Strategy Area IBS, Hyderabad	Postal address: Ground Floor, House Number 61, Padmanabh Nagar, Near Nanal Nagar Mehdipatnam Hyderabad -500028 Andhra Pradesh India	Tel: 91-8417-236660/61/62 Extn-5006 Fax:91-8417-236653 Residence - 91-40-23523169 M: 91-9014186419 Email: shailendrabisht@gmail.com
4.	**Mr. Gururaja Budhya** Secretary (Chief Functionary) Urban Research Centre, Bangalore	E-1, Maithree Apartments, 6th Main, 15th Cross, Malleshwaram, Bangalore – 560 003 Karnataka	Tel: 91-80-23364509 M : 91-94488-49353 Fax: 91-80-23567664 Email: budhyag@hotmail.com, gururajabudhya@gmail.com
5.	**Mr. Sachin Kumar** Assistant Professor	Department of Geography, Government College, Chowari, Tehsil:Bhattiyat, District: Chamba, Himachal Pradesh	M: 91-9816508800 Email: samparksachin@gmail.com
6.	**Mr. Sandeep Kumar**	E 8, First Floor Green Park Ext, Near Green park Main Market New Delhi - 110016	M: 91-9810583063 Email:sandeepkumar.jha@gmail.com

S.No.	Name and Organization	Address	Phone/Email
7.	**Ms. Anu Maheshwari** Community Engagement Moderator Taking It Global	C/o Major VineetDevdas Qtr No. 237/B, Changla Crescent College of Military Engineering(CME) Pune -31	Tel: 91-20-30630938 Mobile: 91–7350949769 Email: anuriandima84@gmail.com
8.	**Mr. Jagdamba Prasad Maithani** Founding Chairperson Alaknanda Ghaati Shilpi (Aagaas) Federation	Village and Post-Pipalkoti, Chamoli, Uttarakhand	Tel: 91-1372-266450 M: 91-9412055534 Email: jpmaithani@gmail.com
9.	**Mr. Jitendra Nayak** M.Phil in Planning and Development (with Teaching Assistantship) IIT Bombay	C/O Padmini Biniwale 12 Sadhana, Vishram Society, Shivasrushti, Kurla (East) Near Kurla Nehru Nagar Bus depot. Mumbai-400024, Maharashtra	M: 91- 9920240764 Email: jiten.iitb@yahoo.com, jitujnu@gmail.com
10.	**Mr. Abhijeet Vilasrao Patil** Associate Director, Business Development, Human Factors International Pvt Ltd	7A - 301, Ashok Nagar, Balum, Near Dadlani park, Old Bhiwandi Road, Thane W - 400608	M: +91-9920311440, 9860298003, 9869393525, 08275060422 Email: abijeetpatil@yahoo.com abijeetpatil@gmail.com
11.	**Ms. Ritika Rai**		Emal: ritikarai.dd@gmail.com
12.	**Mr. Raajeev Rustagi**	1/5169, Street No. 7 Balbir Nagar, Shahdara Delhi 110032	Tel:91-11-22329159 M: 91- 9810743680 Email: raajeevrustagi@gmail.com
13.	**Ms. Sanskrity Sinha** Senior Correspondent, International Business Times	Bangalore	M: - +91- 9845011419 Email: sanskrity2002@yahoo.co.in Sanskrity2002@gmail.com
14.	**Mr. K. Anand Sudhan** Head Centre for Community Ophthalmology & Consultant-Public Health	Shri Sadguru Seva Sangh Trust Jankikund Chitrakoot – 210 204 Satna, Madhya Pradesh	Tel: 91-7670-265514, 91-265606 Ext:369 Fax:+91-76760-265330 Email: kanandsudhan@googlemail.com

परिशिष्ट M

विमर्श प्रक्रिया: कुछ चित्र

About the Friedrich-Ebert-Stiftung

The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) is a German political foundation committed to social democracy, pluralism and international cooperation. It was established in 1925 as the political legacy of Germany's first democratically elected president, Friedrich Ebert.

Banned in 1933 and re-established in 1947, the FES today continues to promote social democracy and political education. The main field in which the foundation is active are:

- Social cohesion
- Democratic culture
- Innovation and participation
- Globalisation based on solidarity